

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,  
PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI**

**EXECUTION APPLICATION NO. 66 OF 2025**

**IN**

**ORIGINAL APPLICATION NO. 492 OF 2022**

**IN THE MATTER OF:**

**GREEN WOOD CITY VILLA JAN  
WELFARE SOCIETY THROUGH  
ITS PRESIDENT RAVINDRA SINGH       .....APPLICANT**

**VERSUS**

**GODWIN CONSTRUCTION COMPANY  
PVT. LTD. THROUGH ITS DIRECTOR  
& ORS.                                       .....RESPONDENTS**

**INDEX**

SLNo.	PARTICULARS	PAGES
1.	Additional Affidavit on Behalf of Respondent Uttar Pradesh Pollution Control Board	1-4
2.	<b><u>ANNEXURE-1</u></b> True copy of the letter dated 17.02.2026	5-29
3.	<b><u>ANNEXURE-2</u></b> . True copy of the minutes of the meeting dated 05.03.2026	30-31
4.	<b><u>ANNEXURE-3</u></b> True copy of the letter dated 06.03.2026	32-53
5.	<b><u>ANNEXURE-4</u></b> True copy of the letter dated 11.03.2025	54-55
6.	<b><u>ANNEXURE-5</u></b> True copy of the order dated 11.03.2026	56-57

**NEW DELHI  
DATED: 17.03.2026**



**(PRADEEP MISRA & DALEEP DHYANI)**

Counsel for U.P. Pollution Control Board

138, New Lawyers Chamber,

Supreme Court of India,

New Delhi-110001

(M.) 9810252518

Email: [pradeepmisra@yahoo.com](mailto:pradeepmisra@yahoo.com)

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

EXECUTION APPLICATION NO. 66 OF 2025  
IN  
ORIGINAL APPLICATION NO. 492 OF 2022

IN THE MATTER OF:

GREEN WOOD CITY VILLA JAN  
WELFARE SOCIETY THROUGH  
ITS PRESIDENT RAVINDRA SINGH .....APPLICANT

VERSUS

GODWIN CONSTRUCTION COMPANY  
PVT. LTD. THROUGH ITS DIRECTOR  
& ORS. ....RESPONDENTS

AFFIDAVIT ON BEHALF OF UTTAR PRADESH POLLUTION  
CONTROL BOARD

I, Sanjeev Kumar Singh S/o. Sri Lal Sahab Singh aged about 39 years, Member Secretary, Uttar Pradesh Pollution Control Board, TC-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow, U.P. do hereby solemnly affirm and declare as under:



1. That I in the above noted capacity, am well conversant with the facts and records of the present case, hence am competent to swear this affidavit.
2. That the Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Meerut sent a letter dated 17.02.2026 to Additional District Magistrate, (F/R), Meerut wherein it was stated that as no specific property has been mentioned in the RC, hence

sk

recovery can be made on the basis of information collected from Nagar Nigam Meerut and Meerut Development Authority about the properties of said firm. True copy of the letter dated 17.02.2026 is being enclosed herewith and marked as Annexure-1.

3. That the above noted matter came up for hearing on 20.02.2026 when this Hon'ble Tribunal has passed the following order:

"5. It may be observed here that O.A. No. 492 of 2022 was filed on 05.07.2022. The above said O.A. was disposed of vide judgment dated 04.03.2025. The present Execution Application was filed on 10.09.2025. The order passed by this Tribunal is yet to be executed and the concerned authorities are delaying the matter without any effective time bound action for securing requisite compliance.

6. Vice-Chairman, MDA, Member Secretary, UPPCB, Commissioner, Municipal Corporation, Meerut and District Magistrate, Meerut are directed to hold a meeting by inviting the representatives of the applicant and also of respondent no.1, if available and work out the modalities for carrying out the judgment passed by this Tribunal and make dedicated time bound efforts for execution of judgment dated 04.03.2025 and file by way of their own affidavits compliance reports/undertakings for compliance mentioning the timeline for execution of the judgment.



sk

7. In case of non-compliance, the above-mentioned officers shall appear before the Tribunal physically or virtually to explain the reasons for such non-compliance.”

4. That in compliance of the above order a meeting was held in the chairmanship of District Magistrate, Meerut on 05.03.2026 wherein it has been decided that on receiving the details about the properties of the concerned person the proceedings for recovery of Environmental Compensation will be initiated. True copy of the minutes of the meeting dated 05.03.2026 is being enclosed herewith and marked as **Annexure-2**.
5. That in view of the said meeting the Regional Office of U.P. Pollution Control Board has sent a letter dated 06.03.2026 to Additional District Magistrate, (F/R), Meerut for recovery of environmental compensation from the properties registered in the name of Directors of the said company has been found by Nagar Nigam, Meerut vide letter dated 16.01.2026, MDA vide letter dated 18.02.2026 and by the Tehsildar Sadar, Meerut. True copy of the letter dated 06.03.2026 is being enclosed herewith and marked as **Annexure-3**.
6. That on 11.03.2026 the Head Office of the U.P. Pollution Control Board issued a direction to Secretary, Meerut Development Authority, Meerut for compliance of the judgment dated 04.03.2025 and order dated 20.02.2026. True copy of letter dated 11.03.2026 is being enclosed herewith and marked as **Annexure-4**.



sk

7. That similarly directions were also issued to Municipal Commissioner, Nagar Nigam, Meerut vide letter dated 11.03.2026 for compliance of order dated 20.02.2026 passed by this Hon'ble Tribunal. True copy of the letter dated 11.03.2026 is being enclosed herewith and marked as **Annexure-5**.
8. That thus the U.P. Pollution Control Board has tried its best for compliance of the order by this Hon'ble Tribunal by the authorities concerned.

The above affidavit is being filed for kind consideration of this Hon'ble Tribunal.

sk

DEPONENT

**VERIFICATION:**

Verified at Lucknow on this the <sup>NOTARY</sup> 16/3 day of March, 2026 that the contents of above affidavit are true and correct to my knowledge based on records and information received and believed to be true, no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.



Sworn and Verified  
before me.

16/3/26  
NOORJAHAN  
Advocate & Notary  
Civil Court, Lucknow  
Registration No. 109437

sk

DEPONENT

I know & identify the deponent / Execut.  
who has signed / put his T.I. before me.

S. J. Iqbal Advocate  
Reg No 6043/1999  
Adv Luck



क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पॉकेट-TC-3/2, पल्लवपुरम फेज-II, मोदीपुरम, मेरठ-250110

Annexure-1

पत्रांक- 1892/G/O-A, ECI/2025/O-A-492/2022/MRT/2026

दिनांक-17-02-26

सेवा में,

मा0एनजीटी प्रकरणअपर जिलाधिकारी(वि0/रा0),  
मेरठ।

विषय-मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित आई0ए0 संख्या-66/2025 इन ओ0ए0 संख्या-492/2022 ग्रीनवुड सिटी विला जनवेलफेयर सोसाइटी व अन्य बनाम गाडविन कंस्ट्रक्शन कंपनी व अन्य में पारित आदेश के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्रांक-890/सी0आर0ए0/आर0सी0-प्रथम/2025-26 दिनांक-06/01/2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-492/2022 ग्रीनवुड सिटी विला जनवेलफेयर सोसाइटी व अन्य बनाम गाडविन कंस्ट्रक्शन कंपनी व अन्य में पारित आदेश दिनांक-04/03/2025 द्वारा प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट के विरुद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रु0 10.0 करोड़ की धनराशि को जमा कराये जाने के संबंध में संबंधित बाकीदार/फर्म की संपत्ति की नगर निगम, मेरठ एवं मेरठ विकास प्राधिकरण से स्पष्ट जानकारी प्राप्त कर वसूली मांग पत्र/आर0सी0 की वसूली कराये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था। उक्त के अनुपालन में नगर निगम, मेरठ से प्राप्त सूचना को इस कार्यालय के पत्रांक- 1705/जी-ओ0ए0-492/2022/ एमआरटी/2026 दिनांक- 19/01/2026 द्वारा महोदय को प्रेषित की गयी थी।

आप द्वारा समय समय पर नगर निगम, मेरठ द्वारा सूचित संपत्ति के विरुद्ध नवीनतम आर0सी0 जारी किये जाने हेतु दिये गये निर्देश के अनुपालन में प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट से मा0अधिकरण द्वारा अधिरोपित धनराशि रूपया 10.0 करोड़ की वसूली हेतु नगर निगम द्वारा सूचित संपत्ति के विरुद्ध नवीनतम आर0सी0 जारी किये जाने के संबंध में जिला प्रशासन द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या-1766/आई0ए0नं0-66/2025/ इन ओ0ए0-492/2022/एमआरटी/2026 दिनांक-31/01/2026 (संलग्नक-क) द्वारा राज्य बोर्ड मुख्यालय से मार्गदर्शन प्राप्त किया गया था। तत्क्रम में मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त-3), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक-एच 38100/जी-3/एनजीटी-293 दिनांक-16/02/2026 (संलग्नक-ख) द्वारा निम्नलिखित अभिमत प्रदान किया गया है-

“ उक्त के संबंध में प्राप्त विधिक अभिमत के अनुसार अवगत कराना है कि जिला कलेक्टर, मेरठ को बोर्ड द्वारा पत्र दिनांक-23/06/2025 में मा0अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में संबंधित से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली किये जाने हेतु निर्गत है, जिसमें किसी संपत्ति का विनिर्दिष्ट उल्लेख नहीं है। पत्र मा0अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में अग्रिम कार्यवाही जिलाधिकारी, मेरठ द्वारा अपने स्तर से की जा सकती है।”

कृ0प0उ0

उक्त के संबंध में कार्यालय जिलाधिकारी, मेरठ (संग्रह अनुभाग) के पत्रांक-990/सी0आर0ए0/आरसी-प्रथम/प्रदूषण/2025-26 दिनांक-05/02/2026 एवं पत्रांक-1017/सी0आर0ए0/आरसी-प्रथम/प्रदूषण/2025-26 दिनांक-14/02/2026 का भी संदर्भ लेना चाहेंगे।

आप द्वारा दिये गये उपरोक्त निर्देश/पत्रांक के अनुपालन में बोर्ड मुख्यालय के पत्र दिनांक-16/02/2026 (संलग्नक-ख) को संलग्नकर आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय



(राजेन्द्र प्रसाद)  
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित

1. जिलाधिकारी महोदय, मेरठ को सादर अवलोकनार्थ।
2. सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त-3), उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. मुख्य विधि अधिकारी, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।



क्षेत्रीय अधिकारी

O/C



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

कमल संख्या 1/23/1000/2025

11/06/2026

दिनांक 16/02/2026

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी  
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
मेरठ।

विषय- मा०राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित EA no. 66/2025 in ओ०ए० 492/2022 Green wood City Villa Jan Welfare Society & Anr Vs Godwin Construction Company Pvt Ltd & Ors में मा०अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्रांक 1766/आई०ए०६६/2025 इन ओ०ए०-492/2022/मेरठ/2026 दिनांक 31.01.2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा०राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-492/2022 ग्रीनवुड सिटी विला जनवेलफेयर सोसाइटी व अन्य बनाम गाडविन कंस्ट्रक्शन कंपनी व अन्य में पारित आदेश दिनांक 04/03/2025 द्वारा प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट के विरुद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रु० 10 करोड़ की धनराशि को जमा कराये जाने संबंधी कृत कार्यवाही का विवरण प्रेषित करते हुए उक्त प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट से मा० अधिकरण द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि की वसूली हेतु नगर निगम द्वारा संबंधित कम्पनी एवं डायरेक्टर्स की सूचित अन्य संपत्ति के विरुद्ध नवीनतम आर०सी जारी किये जाने की कार्यवाही के संबंध में जिला प्रशासन द्वारा दिये जा रहे निर्देश के क्रम में मार्गदर्शन चाहा गया है।

उक्त के संबंध में प्राप्त विधिक अभिमत के अनुसार अवगत कराना है कि जिला कलेक्टर, मेरठ को बोर्ड द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 23.06.2025 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में संबंधित से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति वसूली किये जाने हेतु निर्गत है, जिसमें किसी सम्पत्ति का विनिर्दिष्ट उल्लेख नहीं है। अतः माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में अग्रिम कार्यवाही जिला अधिकारी, मेरठ द्वारा अपने स्तर से की जा सकती है।

सक्षम स्तर से अनुमोदन के उपरान्त निर्गत।

भवदीय,

Digitally signed by  
ANAND KUMAR ANAND

मुख्य अधिकारी (प्रभारी), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।  
16/02/2026  
13:30:37

प्रतिलिपि:- मुख्य विधि अधिकारी (प्रभारी), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

COMPLIANCE  
OK

16/2/2026

टीसी - 12 वी विनूति खण्ड, गान्धी नगर  
लखनऊ - 226 010  
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831  
ई-मेल : info@uppcb.in  
वेबसाइट : www.uppcb.up.gov.in

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,  
Lucknow - 226 010  
Phone : 0522-2720828, 2720831  
E-mail : info@uppcb.in  
Website : www.uppcb.up.gov.in



## क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पॉकेट-TC-3/2, पल्लवपुरम फेज-II, मोदीपुरम, मेरठ-250110

पत्रांक-1766/1.A.No-66/2025/11/मोसा.492/2022/म.र.17/2026

दिनांक-31-01-26

सेवा में,

मा0एनजीटी प्रकरण

मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त-3),  
उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
लखनऊ।

विषय- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित आई0ए0 संख्या-66/2025 इन ओ0ए0 संख्या-492/2022 ग्रीनवुड सिटी विला जनवेलफेयर सोसाइटी व अन्य बनाम गाडविन कंस्ट्रक्शन कंपनी व अन्य में पारित आदेश के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-492/2022 ग्रीनवुड सिटी विला जनवेलफेयर सोसाइटी व अन्य बनाम गाडविन कंस्ट्रक्शन कंपनी व अन्य में पारित आदेश दिनांक-04/03/2025 द्वारा प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट के विरुद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रु0 10करोड़ की धनराशि को जमा कराये जाने संबंधी कृत कार्यवाही का विवरण निम्नवत है-

1. मा0 अधिकरण द्वारा अधिरोपित धनराशि रु0 10करोड़ को प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट मै0गाडविन कंस्ट्रक्शन कंपनी लि0, मेरठ थ्रो इटस डायरेक्टर श्री जितेन्द्र सिंह एवं श्री भूपेन्द्र सिंह, आफिस एट ग्रीनवुड सिटी नीयर गाडविन होटल, बागपत बाईपास रोड, मेरठ से जमा कराये जाने हेतु बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या- एच29452/सी-3/एनजीटी-ओ0ए0293/2025 दिनांक-23/06/2025 द्वारा जिलाधिकारी, मेरठ को वसूली मांग पत्र जारी किया गया है। संलग्नक-1।
2. बोर्ड मुख्यालय के पत्र दिनांक-23/06/2025 द्वारा उक्त धनराशि की वसूली हेतु जारी पत्र के क्रम में क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ के पत्रांक-486/जी/ओ0ए0-492/2022 / एमआरटी/2025 दिनांक-28/06/2025 द्वारा अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0), मेरठ को वसूली संबंधी अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्र प्रेषित किया गया है। संलग्नक-2।
3. क्षेत्रीय कार्यालय के उक्त पत्र दिनांक-28/06/2025 के साथ सीआरए के पृष्ठांकन दिनांक-30/10/2025 को इस कार्यालय में दिनांक-07/11/2025 को प्राप्त कराया गया। संलग्नक-3। नायब तहसीलदार, मेरठ/सीआरए के पृष्ठांकन दिनांक-30/10/2025 में उल्लिखित है कि "चूंकि बाकीदार/फर्म वर्तमान में संचालित नहीं एवं मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा स्पष्ट रूप से कम्पनी की सम्पत्ति से उक्त धनराशि वसूल करने का आदेश दिया गया है अतः डायरेक्टर से निजी तौर पर उक्त धनराशि वसूल नहीं की जा सकती है। इसके अतिरिक्त श्री जितेन्द्र सिंह बाजवा से सम्पर्क करने पर उनके द्वारा बताया गया कि कम्पनी के बैंक खाते वर्ष 2021 में बैंक के साथ लेन देन पूर्ण बन्द कर दिये गये थे, तदोपरांत कंपनी समाप्त कर दी गयी थी। उनके द्वारा यह भी जानकारी प्राप्त करायी गयी कि भारत सरकार के कम्पनी मामलों के मंत्रालय द्वारा भी इस कम्पनी का अस्तित्व समाप्त कर कंपनी डीलिट की जा चुकी है। उपरोक्त कथनों के आधार पर साक्ष्य उपलब्ध कराये गये जो कि संलग्न है और कंपनी के निजी डायरेक्टर से वसूली न किया जाये। यह प्राविधानित है। अतः ऐसी स्थिति में मांगपत्र में उल्लिखित कंपनी मै0गाडविन कंस्ट्रक्शन प्रा0लि0, मेरठ से मांग पत्र में निहित धनराशि को वसूल कर पाना संभव प्रतीत नहीं हो पा रहा है।

अतः वसूली मांगपत्र मूलरूप से वापिस किया जाना उचित प्रतीत होता है। तदनुसार वसूली मांगपत्र वापस किया जाता है।”

4. मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ई0ए0 संख्या-66/2025 इन ओ0ए0 नं0-492/2022 में पारित आदेश दिनांक-17/12/2025 के अनुपालन में जिलाधिकारी, मेरठ की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक-05/01/2026 (संलग्नक-4) में मा0एनजीटी द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू0 10करोड़ की वसूली हेतु निर्देशित किया गया कि “**क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बताया गया कि जो आर0सी0 जारी की गयी थी वह वापस कर दी गयी है। क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देशित किया गया कि वह मेरठ विकास प्राधिकरण व नगर निगम के सहयोग से नई प्रापर्टी को चिन्हित करके पुनः आर0सी0 निर्गत करने के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही करें, जिससे धनराशि की वसूली की जा सके।**”
5. अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), मेरठ के पत्रांक-890/सीआरए/आरसी-प्रथम/2025-26 दिनांक-06/01/2026 (संलग्नक-5) द्वारा निर्देशित किया गया कि प्रश्नगत प्रकरण में संबंधित बाकीदार/फर्म की संपत्ति के संबंध में नगर निगम, मेरठ व मेरठ विकासप्राधिकरण से स्पष्ट जानकारी प्राप्तकर वसूली मांग पत्र/आर0सी0 की वसूली कराये जाने हेतु इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
6. अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0), मेरठ के उक्त पत्र दिनांक-06/1/2026 के क्रम में प्रकरण से संबंधित भागीदार/फर्म की जानकारी उपलब्ध कराये जाने के संबंध में इस कार्यालय के पत्र दिनांक-06/01/2026 द्वारा पत्र क्रमशः नगर आयुक्त, नगर निगम, मेरठ (संलग्नक-6) एवं सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ (संलग्नक-7) को प्रेषित किया गया। तत्क्रम में कार्यालय, नगर निगम, मेरठ के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी, नगर निगम, मेरठ द्वारा पत्रांक-1275/मु0क0नि0अधि-न0नि0मे0/2026 दिनांक-16/01/2026 (संलग्नक-8) अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0) को प्रेषित किया गया एवं पत्र की प्रतिलिपि इस कार्यालय को पृष्ठांकित की गयी जो कि दिनांक-16/1/2026 को इस कार्यालय में प्राप्त है। उक्त पत्र के माध्यम से मै0गाडविन कंस्ट्रक्शन कंपनी लि0, मेरठ थ्रो इटस डायरेक्टर श्री जितेन्द्र सिंह एवं श्री भूपेन्द्र सिंह, आफिस एट ग्रीनवुड सिटी नीयर गाडविन होटल, बागपत बाईपास रोड, मेरठ की नगर निगम, मेरठ में दर्ज सम्पत्ति का विवरण दर्शाया गया है।
7. नगर निगम,मेरठ द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक-16/01/26 को इस कार्यालय के पत्रांक-1705/जी/ओए0-492/2022/एमआरटी/2026 दिनांक-19/01/2026 (संलग्नक-9) के साथ संलग्नकर वसूली हेतु अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0) को प्रेषित किया गया है।
8. अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0) द्वारा दूरभाष पर मै0गाडविन कंस्ट्रक्शन कंपनी लि0, मेरठ थ्रो इटस डायरेक्टर श्री जितेन्द्र सिंह एवं श्री भूपेन्द्र सिंह, आफिस एट ग्रीनवुड सिटी नीयर गाडविन होटल, बागपत बाईपास रोड, मेरठ की नगर निगम, मेरठ में दर्ज सम्पत्ति के विरुद्ध नई आर0सी0 जारी किये जाने हेतु अवगत कराया जा रहा है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में महोदय से अनुरोध है कि उक्त प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट से मा0अधिकरण द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू0 10करोड़ की वसूली हेतु नगर निगम द्वारा सूचित संपत्ति के विरुद्ध नवीनतम आर0सी जारी किये जाने की कार्यवाही के संबंध में जिला प्रशासन द्वारा दिये जा रहे निर्देश के क्रम में मार्गदर्शन प्रदान करने का कष्ट करें कि राज्य बोर्ड द्वारा क्या कार्यवाही की जा सकती है। संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय



(राजेन्द्र प्रसाद)  
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि- सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ सादर प्रेषित।



क्षेत्रीय अधिकारी

AC



## उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या: H/29452/सी-3/NGT/A/2025

दिनांक 23/06/25  
23/06/2025

To,  
The Collector,  
District Meerut.

Sub: Regarding realization/recovery of Environmental Compensation imposed by Hon'ble NGT against (Project Proponent) M/s Godwin Construction company Pvt. Ltd., Meerut Through its Directors-Shri Jitendra Singh and Shri Bhupendra Singh, Office at Green Wood City Near Godwin Hotel, Baghpat By-Pass Road, Meerut in tune with the order dated 09-08-2024 pronounced on 04-03-2025 by Hon'ble NGT in OA no. 492/2022, Green Wood City Villa Jan Welfare Society & Anr Versus Godwin Construction Company Pvt. Ltd. Meerut & Ors.

Please refer to the Order dated (Reserved on August 09, 2024 Pronounced on March 04, 2025) passed by Hon'ble NGT in O.A. No. 492/2022, Green Wood City Villa Jan Welfare Society & Anr Versus Godwin Construction Company Pvt. Ltd. Meerut & Ors. The main executive portion of the Order is reproduced as below:-

".....83. In view of the above, we dispose of this OA with the following directions: (I) We direct respondent 1 to make the provisions for treatment of sewage generated in the project area by constructing SIP of requisite capacity and make it operational within 06 months from the date of this judgment.

(II) For disposal of solid waste in scientific manner and in compliance of Solid Waste Management Rules, 2016, due steps shall be taken by Resident Welfare Association of the project in question. Residents Welfare Association or Villa Jan Welfare Society shall take appropriate steps in consultation with UPPCB within 03 months and UPPCB shall ensure thereafter compliance of environmental laws and norms in respect to handling, management and disposal of solid waste in accordance with environmental laws and norms and if there is any violation, appropriate action shall be taken against the violators.

(III) We direct respondent 1 (project proponent), as an interim measure, to pay environmental compensation of Rs.10 Crores and deposit the same within three months with respondent 3 i.e., UPPCB.

(IV) Respondent 3 is directed to collect relevant information including project cost from respondents 1 and 2 and thereafter, compute final environmental compensation in the light of the law laid down by Supreme Court in Goel Ganga Developers vs Union of India and Others (supra) and after adjusting the amount of interim compensation as imposed as above, shall take steps for recovery of the remaining of environmental compensation from respondent 1, in accordance with law.

(V) Amount of environmental compensation realized from respondent 1 shall be utilized for remediation and rejuvenation of the already damaged environment in the area concerned in accordance with the Environment Development Plan which shall be prepared by Joint Committee comprising UPPCB and District Magistrate, Meerut wherein District Magistrate shall be the nodal agency. This plan shall be prepared within 02 months and executed in the next 04 months.

(VI) In case of failure on the part of respondent 1 in complying any part of directions given above, appropriate coercive action including criminal and other action, as are permitted in law, shall be taken by respondent 3 so as to seek compliance of directions given above.

-----2

दो.सं. - 12 वीं विभूति खण्ड गौमती नगर  
लखनऊ - 226 010  
दूरभाष - 0522-2720828, 2720831  
ई-मेल : info@uppcb.in  
वेबसाइट : www.uppcb.up.gov.in

T C-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,  
Lucknow - 226 010  
Phone : 0522-2720828, 2720831  
E-mail : info@uppcb.in  
Website : www.uppcb.up.gov.in

-2-

(VII) MDA, in the meantime, shall take necessary steps to ensure that sewage is not collected in the project area in violation of Section 24 of Water Act, 1974 and if connecting pipeline is to be replaced with a higher capacity line, necessary steps shall be taken by MDA. This action shall be taken by MDA within 02 months.

§4. A Compliance Report shall be submitted in respect of all the above directions by UPPCB before Registrar General of this Tribunal by 15.08.2025."

UPPCB has also issued letter for compliance of Hon'ble NGT order vide letter no. H-27490/C-3/NGT-293/2025 Dated 28-04-2025 addressed to RO, UPPCB and endorsed to other respondents for compliance of Hon'ble NGT Order (Reserved on August 09, 2024 Pronounced on March 04, 2025) passed by Hon'ble NGT in O.A. No. 492/2022, Green Wood City Villa Jan Welfare Society & Anr Versus Godwin Construction Company Pvt. Ltd. Meerut & Ors. (copy attached).

As per office records the Environmental Compensation imposed against the Project Proponent has not been realized/recovered till date and the matter is listed on 15.08.2025 before Hon'ble NGT. Regional Officer, UPPCB, Meerut has recommended to issue recovery letter against the said Project Proponent vide his letter no. 246/G/OA-492/2022/Meerut/2025 Dated 04-06-2025 with required information and documents (Copy attached).

Hence, in view of above you are hereby requested to recover the same and deposits it into the dedicated account of UPPCB opened in ICICI Bank, Vibhuti Khand-II Branch, Gomti Nagar, Lucknow. The URL of payment gateway is <https://erp.eshiksa.net/DirectFeesv3/UPPCB>. The cost of the proceedings if any shall be recovered additionally.

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1) Amount to be recovered - | Rs. 10,00,00,000/- (Rs. Ten Crore only)   |
| 2) URL of payment gateway   | <a href="https://erp.eshiksa.net/DirectFeesv3/UPPCB">https://erp.eshiksa.net/DirectFeesv3/UPPCB</a> |

Attachment:- As above.

Yours Sincerely,

Digitally signed by  
SANJEEV KUMAR SINGH  
Date: 23-06-2025  
11:30:00  
(Sanjeev Kumar Singh)  
Member Secretary

CC:-Regional Officer, UPPCB, Meerut for information and necessary action please.

dc

Phone :- 0121-2577676

Email id :- [romeerut@uppcb.in](mailto:romeerut@uppcb.in)

क्षेत्रीय कार्यालय  
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
पॉकेट-TC-3/2, पल्लवपुरम फेज-II, मोदीपुरम, मेरठ-250110

पत्रांक- 486/G/OA-492/2022/MRT/2025

दिनांक-28-6-25

सेवा में,

मा0एनजीटी प्रकरण

अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0),  
मेरठ।

विषय-Regarding realization/recovery of Environmental Compensation imposed by Hon'ble NGT against (Project Proponent) M/s Godwin Construction company Pvt. Ltd., Meerut Through its Directors-Shri Jitendra Singh and Shri Bhupendra Singh, Office at Green Wood City Near Godwin Hotel, Baghat By-Pass Road, Meerut in tune with the order dated 09-08-2024 pronounced on 04-03-2025 by Hon'ble NGT in OA no. 492/2022, Green Wood City Villa Jan Welfare Society & Anr Versus Godwin Construction Company Pvt. Ltd. Meerut & Ors.

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित OA no. 492/2022, Green Wood City Villa Jan Welfare Society & Anr Versus Godwin Construction Company Pvt. Ltd. Meerut & Ors. में पारित आदेश दिनांक-04/03/2025 के द्वारा वाद में Respondent-1(Project Proponent) GODWIN CONSTRUCTION COMPANY PVT. LTD. MEERUT Through its Directors- (i) Shri Jitendra Singh and (ii) Shri Bhupendra Singh, Office at Green Wood City Near Godwin Hotel, Baghat By-Pass Road, Meerut पर कुल 10.00 करोड़ रुपये की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी है एवं इस संबंध में बोर्ड मुख्यालय द्वारा जिलाधिकारी महोदय, मेरठ को पत्रांक-एच29452/सी-3/एनजीटी-293/2025 दिनांक-23/06/2025 द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु पत्र प्रेषित किया गया है। उक्त पत्र जिलाधिकारी महोदय के पृष्ठांकन संख्या-2469 दिनांक-23/06/2025 के माध्यम से इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है, जो कि पत्र के साथ संलग्नकर वसूली हेतु अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर अग्रसारित है। संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय

(भुवन प्रकाश यादव)  
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि-

1. जिलाधिकारी महोदय, मेरठ को उनके पृष्ठांकन संख्या-2469 दिनांक-23/06/2025 के अनुक्रम में सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त-3), उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।

क्षेत्रीय अधिकारी

e/c

Phone :- 0121-2577676

Email id :- [romeerut@uppcb.in](mailto:romeerut@uppcb.in)

क्षेत्रीय कार्यालय  
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
पॉकेट-TC-3/2, पल्लवपुरम फेज-II, मोदीपुरम, मेरठ-250110

17/7/25

पत्रांक- 486/9/OA-492/2022/MRT/2025

दिनांक- 28-6-25

सेवा में

मा0एनजीटी प्रकरण

अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0),  
मेरठ।

विषय-Regarding realization/recovery of Environmental Compensation imposed by Hon'ble NGT against (Project Proponent) M/s Godwin Construction company Pvt. Ltd., Meerut Through its Directors-Shri Jitendra Singh and Shri Bhupendra Singh, Office at Green Wood City Near Godwin Hotel, Baghpat By-Pass Road, Meerut in tune with the order dated 09-08-2024 pronounced on 04-03-2025 by Hon'ble NGT in OA no. 492/2022, Green Wood City Villa Jan Welfare Society & Anr Versus Godwin Construction Company Pvt. Ltd. Meerut & Ors.

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित OA no. 492/2022, Green Wood City Villa Jan Welfare Society & Anr Versus Godwin Construction Company Pvt. Ltd. Meerut & Ors. में पारित आदेश दिनांक-04/03/2025 के द्वारा वाद में Respondent-1(Project Proponent) GODWIN CONSTRUCTION COMPANY PVT. LTD. MEERUT Through its Directors- (i) Shri Jitendra Singh and (ii) Shri Bhupendra Singh, Office at Green Wood City Near Godwin Hotel, Baghpat By-Pass Road, Meerut पर कुल 10.00 करोड़ रुपये की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी है एवं इस संबंध में बोर्ड मुख्यालय द्वारा जिलाधिकारी महोदय, मेरठ को पत्रांक-एच29452/सी-3/एनजीटी-293/2025 दिनांक-23/06/2025 द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु पत्र प्रेषित किया गया है। उक्त पत्र जिलाधिकारी महोदय के पृष्ठांकन संख्या-2469 दिनांक-23/06/2025 के माध्यम से इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है, जो कि पत्र के साथ संलग्नकर वसूली हेतु अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर अग्रसारित है।

संलग्नक-यथोपरि।

CRA

CO  
31/1/25

2869

अपर जिलाधिकारी (वि0रा0)

मेरठ 03/7/25

भवदीय

(भुवन प्रकाश यादव)  
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि-

1. जिलाधिकारी महोदय, मेरठ को उनके पृष्ठांकन संख्या-2469 दिनांक-23/06/2025 के अनुक्रम में सूचनार्थ सादर प्रेषित।

2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त-3), उपप्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।

गहरीलदार / मेरठ / मवाना / सरथना  
उपप्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।  
पृष्ठ संख्या...../दि. 11/7/25  
कृपया धनराशि की वसूली भू-राजस्व के  
अनुरूप निर्धारित अवधि में कराकर मांग-पत्र  
इस कार्यालय को वापिस कराये तथा  
समय-समय पर वसूली की स्थिति से  
अवगत कराते रहे।

क्षेत्रीय अधिकारी

उप प्रभारी अधिकारी (संलग्नक)

ke-I

3712  
WBH

4/7/2025  
CRA

तहसीलदार मेरठ।

महोदया,

क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पॉकेट-टी0सी0-3/2 पल्लवपुरम फेज-2 मोदीपुरम मेरठ के बाकीदार मै0 गाडविन कन्स्ट्रक्शन कम्पनी प्रा0लि0 द्वारा अधिकृत डायरेक्टर, श्री जितेन्द्र सिंह व श्री भूपेन्द्र सिंह, ग्रीन वुड सिटी निकट गाडविन होटल, बागपत बाईपास रोड मेरठ के विरुद्ध निर्गत वसूली मॉग पत्र धनराशि अंकन 10,0000000/-रूपये के प्रकरण का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके अन्तर्गत क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पॉकेट-टी0सी0-3/2 पल्लवपुरम फेज-2 मोदीपुरम मेरठ द्वारा वसूली मॉग पत्र में उल्लेख किया है कि " मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 नम्बर 492/2022 ग्रीन वुड सिटी विला जन वैलफेयर सोसायटी व अन्य गॉडविन कन्स्ट्रक्शन कम्पनी प्रा0लि0 मेरठ व अन्य में पारित आदेश दिनांक 04-03-2025 के द्वारा वाद में बाकीदार/उपरोक्त के विरुद्ध धनराशि अंकन 10,0000000/-रूपये की पर्यावरण क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी है एवं इस सम्बन्ध में बोर्ड मुख्यालय द्वारा जिलाधिकारी मेरठ को वसूली प्रमाण पत्र प्रेषित किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण बोर्ड पल्लवपुरम मेरठ द्वारा निर्गत वसूली मॉग पत्र संख्या 01/11-07-2025 जिलाधिकारी मेरठ महोदय के कार्यालय से वसूली हेतु प्राप्त हुआ। प्रश्नगत वसूली मॉग पत्र में बाकीदार उपरोक्त को नियमानुसार आर0सी0 प्रपत्र-36 दिनांक 17-07-2025 को जारी कर तामील कराया गया। बाकीदार द्वारा निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत बकाया धनराशि का भुगतान नहीं किया गया अतः वसूली हित में बाकीदार उपरोक्त की मॉग पत्र में उल्लिखित सम्पत्ति/मकान के स्वामित्व/चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में राजस्व निरीक्षक/लेखपाल तहसील मेरठ से आख्या प्राप्त की गयी। क्षेत्रीय लेखपाल/राजस्व निरीक्षक तहसील मेरठ द्वारा अपनी आख्या उपलब्ध कराते हुए उल्लेख किया गया कि राजस्व ग्राम मलियाना तहसील व जिला मेरठ के खसरा संख्या 1628मि0 रकबा 0.7080है0 पर मैसर्स गाडविन कन्स्ट्रक्शन प्रा0लि0 द्वारा डायरेक्टर भूपेन्द्र सिंह वाजवा पुत्र गुरुवचन सिंह का नाम बतौर संकमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज तो है परन्तु प्रश्नगत सम्पत्ति पूर्व में विक्रय की जा चुकी है और स्थलीय निरीक्षण में मौके पुरानी आवासीय कालोनी बनी हुई है। इसके अतिरिक्त कर अधीक्षक नगर निगम मेरठ से भी जानकारी प्राप्त की गयी। कर अधीक्षक नगर निगम मेरठ द्वारा अपनी आख्या में अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत सम्पत्ति मॉग पत्र में उल्लिखित बाकीदार/फर्म के नाम से न होकर होटल गाडविन, मै0 गोल्डन आयल सर्विस एवं गाडविन पब्लिक स्कूल के नाम से अभिलेखों में दर्ज है। श्री जितेन्द्र सिंह बाजवा से सम्पर्क करने पर उनके द्वारा बताया गया कि कम्पनी के बैंक खाते वर्ष 2021 में बैंको के साथ लेन-देन पूर्ण कर बन्द कर दिये गये थे, तदोपरान्त कम्पनी समाप्त कर दी गयी थी। उनके द्वारा यह भी जानकारी प्राप्त करायी गयी कि भारत सरकार के कम्पनी मामलों के मंत्रालय द्वारा भी इस कम्पनी का अस्तित्व समाप्त कर कम्पनी डी-लिस्ट की जा चुकी है। उपरोक्त कथनों के आधार पर उनके द्वारा जो साक्ष्य उपलब्ध कराये गये हैं वह संलग्न है।

उक्त के अतिरिक्त श्री जितेन्द्र सिंह वाजवा द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा बाकीदार मै0 गाडविन कन्स्ट्रक्शन प्रा0लि0 द्वारा अधिकृत डायरेक्टर, मुख्य पता कार्यालय सी0एम0सी0, 38 छी0पी0 टैंक मेरठ के विरुद्ध निर्गत वसूली

मॉग पत्र धनराशि अंकन 457442743.63 / -रूपये फर्म से वाहय विकास शुल्क की अवशेष धनराशि अंकन 273925261 / -रूपये की वसूली हेतु प्रेषित किया गया था जिसमें मै0 गाडविन प्रा0लि0 द्वारा डायरेक्टर श्री जितेन्द्र सिंह बाजवा बाकीदार/फर्म कोई सम्पत्ति नहीं पाये जाने का कारण बताते हुए वसूली मॉग पत्र विभाग को वापस किया गया। श्री जितेन्द्र सिंह बाजवा द्वारा मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में उक्त वसूली मॉग पत्र के विरुद्ध रिट याचिका संख्या सी-12470/2023 जितेन्द्र सिंह बाजवा बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व 4 अन्य योजित की गयी जिसमें मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा सुनवाई उपरान्त पारित आदेश दिनांक 13-04-2023 का अंश जिसमें उल्लेखित है कि " In view thereof, the writ petition is disposed of, directing the District Magistrate, Meerut, to proceed on the demand notice against the assets of the Company i.e. fourth respondent, and not against the petitioner (Ex-Director), provided the petitioner is liable otherwise being a personal guarantor.

चूंकि बाकीदार/फर्म वर्तमान में संचालित नहीं है और मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा स्पष्ट रूप से कम्पनी की सम्पत्ति से उक्त धनराशि वसूल करने का आदेश दिया गया है अतः डायरेक्टर से निजि तौर पर उक्त धनराशि वसूल नहीं की जा सकती है। इसके अतिरिक्त श्री जितेन्द्र सिंह बाजवा से सम्पर्क करने पर उनके द्वारा बताया गया कि कम्पनी के बैंक खाते वर्ष 2021 में बैंको के साथ लेन-देन पूर्ण कर बन्द कर दिये गये थे, तदोपरान्त कम्पनी समाप्त कर दी गयी थी। उनके द्वारा यह भी जानकारी प्राप्त करायी गयी कि भारत सरकार के कम्पनी मामलों के मंत्रालय द्वारा भी इस कम्पनी का अस्तित्व समाप्त कर कम्पनी डी-लिस्ट की जा चुकी है। उपरोक्त कथनों के आधार पर साक्ष्य उपलब्ध कराये गये हैं जो संलग्न है और कम्पनी के निजि डायरेक्टर से वसूली न की जाये यह प्राविधानित है। अतः ऐसी स्थिति में मॉग पत्र में उल्लिखित प्रश्नगत कम्पनी मै0 गाडविन कन्स्ट्रक्शन प्रा0लि0 मेरठ से मॉग पत्र में निहित धनराशि को वसूल कर पाना सम्भव प्रतीत नहीं हो पा रहा है। अतः वसूली मॉग पत्र मूल रूप से वापस किया जाना उचित प्रतीत होता है। तदनुसार वसूली मॉग पत्र वापस किया जाता है।

आख्या महोदय की सेवा में सादर प्रस्तुत है।

  
29/10/25

महोदय,  
सग्रह अमीन आख्या सादर प्रेषित है

CRA

अग्रस्त

30/10/26

रजि (4)

30/10/26

नायब तहसीलदार  
क्षेत्र  
मेरठ

अति आवश्यक / महत्वपूर्ण / तत्काल

कार्यालय तहसीलदार मेरठ  
(संग्रह अनुभाग)

संख्या मी/मी / वा0वा0न0-2025-26

दिनांक / / 2025

राजस्व निरीक्षक / लेखपाल  
क्षेत्र-  
तहसील मेरठ।

उक्त प्रकरण निम्नलिखित के बाकीदार / फर्म श्री. जितेंद्र सिंह एण्ड श्री. अर्पण सिंह ..... मेरठ के विरुद्ध अकन 1,00,00,00,00,000 का मांगपत्र  
श्री. अर्पण सिंह एण्ड श्री. जितेंद्र सिंह को प्राप्त हुआ।  
कार्यालय जिलाधिकारी मेरठ महोदय के माध्यम से वसूली हेतु तहसील मेरठ का प्राप्त हुआ  
है। उक्त बाकीदार / फर्म की के नाम कोई चल अथवा अचल सम्पत्ति आपके अभिलेखों में  
दर्ज है अथवा नहीं तत्काल उपलब्ध करायें।

h  
30/08/26  
तहसीलदार  
मेरठ।

महोदय

सादर इत्तफाकत करना है कि राजस्व ग्राम मालियाना तहसील व जिला  
मेरठ की वर्तमान रकबा की कलम 162 अ. 10 के अन्तर्गत 0.750000  
पर मैक्सिमम गारंटी कमांडा 500 करोड़ रुपये तक अथवा अधिक  
वाकफ वृद्ध गुरुवचन के का प्राप्त कर वसूली के अन्तर्गत वर्तमान  
प्रकरण पर आवश्यक कालेजी विकसित है तथा उक्त पर  
रकबा, पाई इत्यादि विवरण ही सादर उपलब्ध कराया जायेगा।

महोदय,  
तहसीलदार कार्यालय मेरठ

Parmender Singh  
Lekhpal

31-10-25  
(विजेन्द्र सिंह)  
राजस्व निरीक्षक एन.ए.एस.

# Shiv Sagar Singh

Advocate

High Court Chamber No. 39,  
Office: G-11 Panch Shila Colony,  
Nawah Yusuf Road, Civil Lines,  
Allahabad.

Cell: 9415614789, 9889040292  
9198501888


Writ C No 12470/2023 Dist - Meerut

Aitendra Singh Baidya

vs.

State of U.P. and 4 others.

order dated 13/4/2023





Warning - Don't tamper with the barcode.  
Embossing to be done below this line on the last page


HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

Embossing to be done above this line on the last page  
This Authenticated Copy is invalid without this page



Computerized Copying Section, High Court of Judicature at  
Allahabad

Requisition Information								
Folio No.	Application Date	Case Type	Case No.	Year	Case filed at	Date of Judgment/Order	Court Fee	No. of Pages
75083 of 2024	1.4.2024	WRIC	12470	2023	Allahabad	13.4.2023	15.0	1

Printed/Prepared by	Authenticated by	Date of Issuance
Signature :-  Name :- Pragma Bhadauriya Designation :- Review Officer Employee No. :- E10720 Date of Printing :- 1.4.2024	Signature :-  Name :- Milan Gupta Designation :- Section Officer Employee No. :- 7534 Authenticated Copy ready on:-	04 APR 2024

Court No. - 42

Case :- WRIT - C No. - 12470 of 2023

Petitioner :- Jitendra Singh Bajwa  
Respondent :- State Of U.P. And 4 Others  
Counsel for Petitioner :- Raghav Dev Garg, Sr. Advocate  
Counsel for Respondent :- CSC, Shiv Prakash Gupta

Hon'ble Suneet Kumar J.  
Hon'ble Rajendra Kumar - IV J.

Heard learned counsel for the parties.

The petitioner claims to be an Ex-Director of a company being M/s Godwin Construction Pvt. Ltd., Meerut (respondent no. 4).

It is submitted that the petitioner resigned from the post of Director of the Company on 10.04.2022. In this backdrop, it is submitted that the impugned notice dated 15.03.2023, issued by the second respondent Vice Chairman, Meerut Development Authority, raising a demand notice to recover the dues against the Director of the Company, is per se illegal.

It is submitted that the Company being a limited company, the Director of the Company cannot be held liable for the outstanding dues / default committed by the Company. Reliance has been placed on the decision rendered by Supreme Court in *Rakesh Mahajan vs. State of U.P. and others*, 2019 SCC OnLine All 4766 : (2020) 2 All LJ 501.

Be that as it may, legal proposition is not being disputed by the learned counsel for the respondents. He submitted that the Development Authority would proceed against the assets of the Company in accordance with law.

In view thereof, the writ petition is disposed of, directing the District Magistrate, Meerut, to proceed on the demand notice against the assets of the Company i.e. fourth respondent, and not against the petitioner (Ex-Director), provided the petitioner is liable otherwise being a personal guarantor.

Order Date :- 13.4.2023

Manoj

AUTHENTICATED COPY  
13/04/2023  
SECTION OFFICER  
COMPUTERISED COPY  
HIGH COURT, ALLAHABAD

**Ministry Of Corporate Affairs**

Date : 15-07-2025 4:04:4pm

**Company Information**

CIN	U45202UP1999PTC024555
Company Name	GODWIN CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
ROC Name	ROC Kanpur
Registration Number	024555
Date of Incorporation	29/06/1999
Email Id	godwinconstructionpriltd@gmail.com
Registered Address	38 CMC, CHIPPI TANK, Chhipi Tank, Meerut, Meerut, Uttar Pradesh, India, 250002
Address at which the books of account are to be maintained	-
Listed in Stock Exchange(s) (Y/N)	No
Category of Company	Company limited by shares
Subcategory of the Company	Non-government company
Class of Company	Private
ACTIVE compliance	ACTIVE Compliant
Authorized Capital (Rs)	2,00,00,000
Paid up Capital (Rs)	1,95,00,000
Date of last AGM	30/09/2022
Date of Balance Sheet	31/03/2022
Company Status	Strike Off

Jurisdiction	
ROC (name and office)	ROC Kanpur
RD (name and Region)	RD, Northern Region



कम्पनी के एक अन्य प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या सी-12/70/2023 जितेन्द्र सिंह बाजवा बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व 04 अन्य योजित की गयी, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई के उपरान्त पारित आदेश दिनांक 13-4-2023 द्वारा कम्पनी के डायरेक्टर से धनराशि की वसूली न किए जाने के आदेश दिए गए हैं। वर्तमान में उक्त कम्पनी के बैंक खाते से 2021 में बैंको के साथ लेन-देन पूर्ण कर बन्द कर दिये गये थे, तदोपरान्त कम्पनी समाप्त कर दी गयी थी। भारत सरकार के कम्पनी मामलों के मंत्रालय द्वारा भी इस कम्पनी का अस्तित्व समाप्त कर कम्पनी डी-लिस्ट की जा चुकी है। इस सम्बन्ध में अग्रेत्तर क्या कार्यवाही की जानी है, क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तत्काल सुनिश्चित करें।

(4) बिन्दु संख्या-4 में क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को यह निर्देश दिये गये थे कि मै0 गाडविन कन्स्ट्रक्शन कम्पनी व मेरठ विकास प्राधिकरण से प्रोजेक्ट आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करके अन्तिम अन्तिम कम्पनशेशन की धनराशि निर्धारित करें व रिकवरी मै0 गाडविन कन्स्ट्रक्शन कम्पनी से कराये। अभी तक इस विषय में कोई कार्यवाही नहीं हुई है। क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ से अपेक्षा की जाती है कि वह मेरठ विकास प्राधिकरण व मै0 गाडविन कन्स्ट्रक्शन कम्पनी के डायरेक्टर के साथ बैठक करके अग्रेत्तर कार्यवाही कराये।

(5) बिन्दु संख्या-5 के अन्तर्गत मा0 एन0जी0टी0 न्यायालय के आदेश के क्रम में चूंकि कोई भी कम्पनशेशन की धनराशि क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास जमा नहीं हुई है। मा0 एन0जी0टी0 न्यायालय द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार जिलाधिकारी तथा क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की समिति बनायी जिसे 2 माह में कार्य-योजना बनाकर 4 माह में कार्यवाही करनी थी। इस क्रम में क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एनवायरमेन्ट कम्पनशेशन प्लान बनाकर मा0 एन0जी0टी0 न्यायालय में जमा किया गया है परन्तु धनराशि उपलब्ध न हो पाने के कारण पालन नहीं हो सका है।

(6) बिन्दु संख्या-6 में क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को यह निर्देश दिये गये थे कि यदि एरिया-संख्या-1 मै0 गाडविन कन्स्ट्रक्शन कम्पनी द्वारा मा0 एन0जी0टी0 न्यायालय के आदेशों की अवहेलना की जाती है तो क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड विधिक कार्यवाही करा सकते हैं। इस सम्बन्ध में भी क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

(7) बिन्दु संख्या-7 में मेरठ विकास प्राधिकरण को यह निर्देश दिये गये हैं कि प्रोजेक्ट एरिया में कोई भी सीवरेज जमा न हो और कनेक्टिंग पाईप लाईन को बदल दिया जाये। मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा अभी तक भी उपरोक्त कार्य नहीं कराया गया है तथा मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों का अनुपालन नहीं हुआ है।

क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बताया गया कि मा0 एन0जी0टी0 न्यायालय के आदेश दिनांक 4-3-2025 के अनुपालन में अनुपालन आख्या मा0 एन0जी0टी0 न्यायालय में दिनांक 25-9-2025 को दाखिल कर दी गयी है।

क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बताया गया कि जो आर0सी0 जारी की गयी थी, वह वापस कर दी गयी है। क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देशित किया गया कि वह मेरठ विकास प्राधिकरण व नगर निगम के सहयोग से नई प्रोपर्टी को चिन्हित करके पुनः आर0सी0 निर्गत करने के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही करें, जिससे धनराशि की वसूली की जा सके।

उपरोक्त प्रकरण में सुनवाई के लिए आगामी तिथि 16-1-2026 निर्धारित है। क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वह उपरोक्तानुसार

एन०जी०टी० न्यायालय के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करें तथा क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा माननीय एन०जी०टी० न्यायालय में अद्यतन अनुपालन आख्या यथासमय प्रस्तुत कराएँ।

*H*  
06.11.2026  
(डा० वी०के० सिंह)  
जिलाधिकारी, मेरठ।

प्रतिलिपि—निम्नांकित को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित—

- 1-- उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।
- 2-- नगर आयुक्त, नगर निगम, मेरठ।
- 3-- अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), मेरठ।
- 4-- उप जिलाधिकारी / तहसीलदार, मेरठ।
- 5-- क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ।

*lib/mer*  
07/01/2026

*H*  
06.11.2026  
(डा० वी०के० सिंह)  
जिलाधिकारी, मेरठ।

लं०/१०२५ - 5

कार्यालय जिलाधिकारी, मेरठ।

(संग्रह अनुभाग)

संख्या 890 / सी०आर०ए०/आर०सी०-प्रथम/2025-26

दिनांक 06.01.2025

क्षेत्रीय अधिकारी

उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पॉकेट-TC-3/2 पल्लवपुरम फेज-II मोदीपुरम मेरठ।

कृपया अपने कार्यालय के पत्रांक 486/G/OA-492/2022/MRT/2025 दिनांक 28-06-2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जो कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित OA no. 492/2022, Green Wood City Villa Jan Welfare Society & Anr Versus Godwin Construction Company Pvt. Meerut & Ors. में पारित आदेश दिनांक 04-03-2025 के द्वारा वाद में Respondent-1 (Project Proponent) GODWIN CONSTRUCTION COMPANY PVT.LTD. MEERUT Through its Directors-(I) Shri Jitendra Singh and Shri Bhupendra Singh. Office at Green Wood City Near Dodwin Hotel Baghat By-Pass Road Meerut पर कुल 1000 करोड़ रुपये की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी है एवं इस संबंध में बोर्ड मुख्यालय द्वारा जिलाधिकारी महोदय मेरठ को पत्रांक एच29452/सी-3/एनजीटी-293/2025 दिनांक 23.06.2025 द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु पत्र प्रेषित किया गया। जिसके संबंध में तहसीलदार मेरठ द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में प्रेषित रिपोर्ट दिनांक 30.10.2025 में उल्लेख किया गया है कि क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण बोर्ड पल्लवपुरम मेरठ द्वारा निर्गत वसूली मांग पत्र संख्या 01/11-07-2025 जिलाधिकारी महोदय मेरठ के कार्यालय में वसूली हेतु प्राप्त हुआ। प्रश्नगत वसूली मांग पत्र में बाकीदार उपरोक्त को नियमानुसार आर०सी० प्रपत्र-36 दिनांक 17.07.2025 को जारी कर तामील कराया गया। बाकीदार द्वारा निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत वकाया धनराशि का भुगतान नहीं किया गया। अतः वसूली हित में बाकीदार उपरोक्त की मांग पत्र में उल्लिखित सम्पत्ति/मकान के स्वामित्व/चल/अचल सम्पत्ति के संबंध में राजस्व निरीक्षण/लेखपाल तहसील मेरठ से आख्या प्राप्त की गयी। क्षेत्रीय लेखपाल/राजस्व निरीक्षक तहसील मेरठ द्वारा अपनी आख्या उपलब्ध कराते हुए उल्लेख किया गया कि राजारव ग्राम मलियाना तहसील व जिला मेरठ के खासरा संख्या 1628मि० रकबा 0.7080है० पर मैसर्स गाडविन कन्स्ट्रक्शन प्रा०लि० द्वारा डायरेक्टर भूपेन्द्र सिंह वाजवा पुत्र गुरुवचन सिंह का नाम बतौर सक्रमणीय भूमिधार के रूप में दर्ज तो है परन्तु प्रश्नगत सम्पत्ति पूर्व में विक्रय की जा चुकी है और स्थलीय निरीक्षण में मौके पुरानी आवासीय कालोनी बनी हुई है। इसके अतिरिक्त कर अधीक्षक नगर निगम मेरठ से भी जानकारी प्राप्त की गयी। कर अधीक्षक नगर निगम मेरठ द्वारा अपनी आख्या में अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत सम्पत्ति मांग पत्र में उल्लिखित बाकीदार/फर्म के नाम से न होकर होटल गाडविन, मै० गोल्डन आयल सर्विस एवं गाडविन पब्लिक स्कूल के नाम से अभिलेखों में दर्ज है। श्री जितेन्द्र सिंह वाजवा से सम्पर्क करने पर उनके द्वारा बताया गया कि कम्पनी के बैंक खातों वर्ष 2021 में बैंकों के साथ लेन-देन पूर्ण कर बन्द कर दिये गये थे, तदोपरान्त कम्पनी समाप्त कर दी गयी थी। उनके द्वारा यह भी जानकारी प्राप्त करायी गयी कि भारत सरकार के कम्पनी मामलों के मंत्रालय द्वारा भी इस कम्पनी का अस्तित्व समाप्त कर कम्पनी डी-लिस्ट की जा चुकी है। उपरोक्त कथनों के आधार पर उनके द्वारा जो साक्ष्य उपलब्ध कराये गये हैं वह संलग्न हैं।

चूंकि बाकीदार/फर्म वर्तमान में संचालित नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में मांग पत्र में उल्लिखित प्रश्नगत कम्पनी मै० गोडविन कन्स्ट्रक्शन प्रा०लि० मेरठ से मांग पत्र में निहित धनराशि को वसूल कर पाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

चूंकि प्रश्नगत प्रकरण मा० एन०जी०टी० में विचाराधीन है तथा सुनवाई हेतु आगामी तिथि 16-01-2026 नियत है।

अतः आप उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्नगत प्रकरण में संबंधित बाकीदार/फर्म की सम्पत्ति के संबंध में नगर निगम मेरठ एवं मेरठ विकास प्राधिकरण से स्पष्ट जानकारी प्राप्त कर वसूली मांग-पत्र/आर०सी० की वसूली कराये जाने हेतु इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन व समयान्तर्गत संबंधित बाकीदार/फर्म से वसूली संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित करायी जा सके।

अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)  
मेरठ।

संख्या व दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि जिलाधिकारी महोदय मेरठ की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)



क्षेत्रीय कार्यालय  
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
पॉकेट-TC-3/2, पल्लवपुरम फेज-II, मोदीपुरम, मेरठ-250110

11/01/26

पत्रांक- 1652/01/OA-492/2022/MAT/2026

दिनांक-06-01-26

सेवा में,

नगर आयुक्त,  
नगर निगम,  
मेरठ।

विषय-- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-492/2022 में पारित आदेश दिनांक-04/03/2025 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-492/2022 में पारित आदेश दिनांक-04/03/2025 के अंश निम्नवत हैं-

...83. In view of the above, we dispose of this OA with the following directions:

(III) We direct respondent 1 (project proponent), as an interim measure, to pay environmental compensation of Rs.10 Crores and deposit the same within three months with respondent 3 i.e., UPPCB.

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू0 10.0 करोड़ को प्राप्त किये जाने हेतु सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक-एच29452/सी-3/एनजीटी-293/2025 दिनांक-23/06/2025 द्वारा मै0 गाडविन कंस्ट्रक्शन कंपनी प्रा0लि0, मेरठ तथा उनके डायरेक्टर श्री जितेन्द्र सिंह एवं श्री भूपेन्द्र सिंह कार्यालय-ग्रीनवुड सिटी, नीयर गाडविन होटल, बागपत बाईपास रोड, मेरठ से वसूली किये जाने हेतु पत्र जिलाधिकारी महोदय, मेरठ को प्रेषित किया गया था। तत्कम में क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मेरठ के पत्रांक-486/जी/ओ0ए0-492/2022/एमआरटी/2025 दिनांक-28/06/2025 द्वारा उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि की वसूली हेतु पत्र अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0), मेरठ को प्रेषित किया गया था। अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0), मेरठ के पत्रांक-890/सीआरए/आर0सी0-प्रथम/2025-26 दिनांक-06/01/2026 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा संबंधित बाकीदार/फर्म की सम्पत्ति के संबंध में नगर निगम, मेरठ एवं विकास प्राधिकरण, मेरठ से स्पष्ट जानकारी प्राप्त कर वसूली मांग पत्र/आर0सी0 की वसूली कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उपरोक्त के क्रम में आपसे अनुरोध है कि प्रश्नगत प्रकरण में संबंधित बाकीदार फर्म मै0 गाडविन कंस्ट्रक्शन कंपनी प्रा0लि0, मेरठ तथा उनके डायरेक्टर श्री जितेन्द्र सिंह एवं श्री भूपेन्द्र सिंह कार्यालय-ग्रीनवुड सिटी, नीयर गाडविन होटल, बागपत बाईपास रोड, मेरठ की सम्पत्ति के संबंध में विवरण/सूचना अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0), मेरठ एवं इस कार्यालय को तत्काल प्राप्त कराने का कष्ट करें जिससे कि अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचना रासमय प्रेषित की जा सके।

उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत प्रकरण में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ई0ए0 संख्या-66/2025 इन ओ0ए0 संख्या-492/2022 में अग्रिम सुनवाई तिथि दिनांक-16/01/2026 में नियत है। संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(राजेन्द्र प्रसाद)

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ सादर प्रेषित-

1. जिलाधिकारी महोदय, मेरठ को सादर अवलोकनार्थ।
2. अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0), मेरठ को उनके पत्र दिनांक-06/01/2026 के अनुक्रम में सूचनार्थ।

क्षेत्रीय अधिकारी

91



क्षेत्रीय कार्यालय  
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
पॉकेट-TC-3/2, पल्लवपुरम फेज-II, मोदीपुरम, मेरठ-250110

६९८११०१-७

पत्रांक- 1651/G/OA-492/2022/MRT/2026

दिनांक- 06/01/2026

सेवा में,

सचिव,  
मेरठ विकास प्राधिकरण,  
मेरठ।

विषय- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-492/2022 में पारित आदेश दिनांक-04/03/2025 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-492/2022 में पारित आदेश दिनांक-04/03/2025 के अंश निम्नवत हैं-

"...83. In view of the above, we dispose of this OA with the following directions: "

(III) We direct respondent 1 (project proponent), as an interim measure, to pay environmental compensation of Rs.10 Crores and deposit the same within three months with respondent 3 i.e., UPPCB.

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू0 10.0 करोड़ को प्राप्त किये जाने हेतु सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक-एच29452/सी-3/एनजीटी-293/2025 दिनांक-23/06/2025 द्वारा मै0 गाडविन कंस्ट्रक्शन कंपनी प्रा0लि0, मेरठ तथा उनके डायरेक्टर श्री जितेन्द्र सिंह एवं श्री भूपेन्द्र सिंह कार्यालय-ग्रीनवुड सिटी, नीयर गाडविन होटल, बागपत बाईपास रोड, मेरठ से वसूली किये जाने हेतु पत्र जिलाधिकारी महोदय, मेरठ को प्रेषित किया गया था। तत्कम में क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ के पत्रांक-486/जी/ओ0ए0-492/2022/एमआरटी/2025 दिनांक-28/06/2025 द्वारा उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि की वसूली हेतु पत्र अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0), मेरठ को प्रेषित किया गया था। अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0), मेरठ के पत्रांक-890/सीआरए/आर0सी0-प्रथम/2025-26 दिनांक-06/01/2026 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा संबंधित बाकीदार/फर्म की सम्पत्ति के संबंध में नगर निगम, मेरठ एवं विकास प्राधिकरण, मेरठ से स्पष्ट जानकारी प्राप्त कर वसूली मांग पत्र/आर0सी0 की वसूली कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उपरोक्त के क्रम में आपसे अनुरोध है कि प्रश्नगत प्रकरण में संबंधित बाकीदार फर्म मै0 गाडविन कंस्ट्रक्शन कंपनी प्रा0लि0, मेरठ तथा उनके डायरेक्टर श्री जितेन्द्र सिंह एवं श्री भूपेन्द्र सिंह कार्यालय-ग्रीनवुड सिटी, नीयर गाडविन होटल, बागपत बाईपास रोड, मेरठ की सम्पत्ति के संबंध में विवरण/सूचना अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0), मेरठ एवं इस कार्यालय को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे कि अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचना ससमय प्रेषित की जा सके।


उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत प्रकरण में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ई0ए0 संख्या-66/2025 इन ओ0ए0 संख्या-492/2022 में अग्रिम सुनवाई तिथि दिनांक-16/01/2026 में नियत है। संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

  
(राजेन्द्र प्रसाद)  
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ सादर प्रेषित-

1. जिलाधिकारी महोदय, मेरठ को सादर अवलोकनार्थ।
2. अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0), मेरठ को उनके पत्र दिनांक-06/01/2026 के अनुक्रम में सूचनार्थ।

  
क्षेत्रीय अधिकारी

011

## कार्यालय नगर निगम, मेरठ।

प्रेषक,

मुख्य कर निर्धारण अधिकारी,  
नगर निगम, मेरठ।

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०),  
मेरठ।

पत्रांक- 1275 / मु०क०नि०अधि०-न०नि०मे० / 2026

दिनांक 16 जनवरी, 2026

विषय :- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकारण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-492/2022 में पारित आदेश दिनांक 04-03-2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, मेरठ के पत्र संख्या-1652/G/OA-492/2022/MRT/2026 दिनांक 06-01-2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा० राष्ट्रीय हरित अधिकारण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-492/2022 में पारित आदेश दिनांक 04-03-2025 के अनुपालन में सम्बन्धित बाकी फर्म मै० गाडविन कंस्ट्रक्शन कम्पनी प्रा०लि०, मेरठ तथा डायरेक्टर श्री जितेन्द्र सिंह एवं श्री भूपेन्द्र सिंह कार्यालय-ग्रीनवुड सिटी, नियर गॉडविन होटल, बागपत बाईपास रोड मेरठ की सम्पत्ति के सम्बन्ध में विवरण/सूचना आपको उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

इस सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि फर्म मै० गाडविन कंस्ट्रक्शन कम्पनी प्रा०लि०, मेरठ तथा डायरेक्टर श्री जितेन्द्र सिंह एवं श्री भूपेन्द्र सिंह कार्यालय-ग्रीनवुड सिटी, नियर गॉडविन होटल, बागपत बाईपास रोड मेरठ की नगर निगम मेरठ में दर्ज सम्पत्ति का विवरण निम्नप्रकार है :-

क्र० सं०	भवन संख्या	मौहल्ला	नगर निगम में दर्ज भवन स्वामी का नाम	गृहकर बिल 31.03.2026 तक
01	1-A	पावटी	गॉडविन होटल, C/O भूपेन्द्र सिंह वाजवा	1515885.80
02	236/K	खडौली-2	पंजाब एण्ड सिंध बैंक (जितेन्द्र वाजावा, भूपेन्द्र वाजावा)	373592.00
03	279/A	बंकरखेडा-3 पावटी	गोल्डन सर्विस प्रो० श्री जितेन्द्र वाजावा	10295.00
04	A-151	डिफेन्स कालोनी	बलवीर कौर पुत्र गुरुवचन सिंह	148908.00
05	A-38	डिफेन्स कालोनी	गॉड वैल्यू प्रोपर्टीज लि०	33658.00
06	न्यू-BM0407	नन्द विहार	गॉडविन स्कूल (GIS द्वारा)	1043412.00
07	न्यू-BM5909	गॉडविन कॉलोनी ग्रीनवुड सिटी	दैनिक जनवाणी (GIS द्वारा)	210776.00

उपरोक्त बिलों की प्रति संलग्न कर सेवा में प्रेषित है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

मुख्य कर निर्धारण अधिकारी,  
नगर निगम मेरठ।

संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि :-

1. जिलाधिकारी मेरठ महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. नगर आयुक्त महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. श्री क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, पॉकेट-TC-3/2 पल्लवपुरम फेज-II, मोदीपुरम मेरठ को उनके उपरोक्त पत्र दिनांक 06-01-2026 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य कर निर्धारण अधिकारी,  
नगर निगम मेरठ।



क्षेत्रीय कार्यालय  
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
पॉकेट-TC-3/2, पल्लवपुरम फेज-II, मोदीपुरम, मेरठ-250110

पत्रांक- 1783/9/04A-492/2022/mk/2026

दिनांक-19-1-2026

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०),  
मेरठ।

विषय- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-492/2022 में पारित आदेश दिनांक-04/03/2025 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक पत्रांक-890/सी०आर०ए/आर०सी०-प्रथम/2025-26 दिनांक 06/01/2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रु० 10.0 करोड़ को प्राप्त किये जाने हेतु सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक-एच०२९४५२/सी-३/ एनजीटी-२९३/२०२५ दिनांक-२३/०६/२०२५ द्वारा मै० गाडविन कंस्ट्रक्शन कंपनी प्रा०लि०, मेरठ तथा उनके डायरेक्टर श्री जितेन्द्र सिंह एवं श्री भूपेन्द्र सिंह कार्यालय-ग्रीनवुड सिटी, नीयर गाडविन होटल, बागपत बाईपास रोड, मेरठ से वसूली किये जाने हेतु जिलाधिकारी महोदय, मेरठ को प्रेषित पत्र तथा तत्कम में क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ के पत्रांक-४८६/जी/ओ०ए०-४९२/२०२२/एमआरटी/२०२५ दिनांक-२८/०६/२०२५ द्वारा उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि की वसूली हेतु अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०), मेरठ को प्रेषित पत्र के क्रम में महोदय के उक्त पत्रांक-८९०/सी०आर०ए/ आर०सी०-प्रथम/२०२५-२६ दिनांक-०६/०१/२०२६ द्वारा संबंधित बाकीदार/फर्म की सम्पत्ति के संबंध में नगर निगम, मेरठ एवं विकास प्राधिकरण, मेरठ से स्पष्ट जानकारी प्राप्त कर वसूली मांग पत्र/आर०सी० की वसूली कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त पत्र के अनुपालन में संबंधित बाकीदार/फर्म की सम्पत्ति की जानकारी उपलब्ध कराये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक-१६५२/जी/ओ०ए०-४९२/२०२२/एमआरटी/२०२६ दिनांक-०६/०१/२०२६ एवं पत्रांक-१६५२/जी/ओ०ए०-४९२/२०२२/एमआरटी/२०२६ दिनांक-०६/०१/२०२६ द्वारा क्रमशः नगर आयुक्त, नगर निगम, मेरठ एवं सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ को पत्र प्रेषित किया गया था, जिसकी प्रतिलिपि महोदय को पृष्ठांकित थी।

कार्यालय, नगर निगम, मेरठ के पत्रांक-१२७५/मु०क०नि०अधि०-न०नि०मे०/२०२६ दिनांक-१६/०१/२०२६ (छायाप्रति संलग्न) द्वारा मै० गाडविन कंस्ट्रक्शन कंपनी लि०, मेरठ तथा डायरेक्टर श्री जितेन्द्र सिंह एवं श्री भूपेन्द्र सिंह कार्यालय, ग्रीनवुड सिटी नीयर गाडविन होटल, बागपत बाईपास रोड, मेरठ को नगर निगम, मेरठ में दर्ज सम्पत्ति का विवरण प्रेषित किया गया है जिसकी मुख्य प्रति महोदय को संबोधित है तथा पत्र की प्रतिलिपि जिलाधिकारी महोदय, मेरठ एवं इस कार्यालय को पृष्ठांकित है। विकास प्राधिकरण, मेरठ से तत्समय तक सूचना प्राप्त नहीं है।

कृ०प०उ०

-2-

कार्यालय, नगर निगम, मेरठ द्वारा प्रेषित उक्त पत्र दिनांक-16/01/2026 को संलग्नकर वाकीदार/फर्म की संपत्ति का विवरण संलग्नकर मा0अधिकरण द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि की वसूली हेतु अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

अवगत कशना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ई0ए0 संख्या-66/2025 इन ओ0ए0 -492/2022 ग्रीनबुड सिटी जनवेलफेयर सोसाइटी व अन्य बनाम गाडविन कंस्ट्रक्शन कंपनी में अगली सुनवाई की तिथि दिनांक-20/02/2026 नियत है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(राजेन्द्र प्रसाद)  
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ सादर प्रेषित-

1. जिलाधिकारी महोदय, मेरठ को सादर अवलोकनार्थ।
2. सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त-3), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. विधि अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी

91C

01C

Received

19/01/2026

ST.

कार्यालय जिलाधिकारी, मेरठ।

(संग्रह अनुभाग)

संख्या: 1077 / सी0आर0ए0 / आर0सी0-प्रथम / प्रदूषण / कार्यवृत्त / 2025-26

दिनांक 05.03.2026

:: बैठक कार्यवृत्त ::

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ई0ए0 संख्या-66/2025 इन ओ0ए0 संख्या-492/2022 ग्रीनबुड सिटी विला जनवेलफेयर सोसाइटी व अन्य बनाम गाडविन कंसल्टेशन कंपनी व अन्य में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 20-02-2026 के पैरा संख्या-6 में निम्न आदेश पारित किया गया। Vice-Chairman, MDA, Member Secretary, UPPCB, Commissioner, Municipal Corporation, Meerut and District Magistrate, Meerut are directed to hold a meeting by inviting the representatives of the applicant and also of respondent no.1, if available and work out the modalities for carrying out the judgment passed by this Tribunal and make dedicated time bound efforts for execution of judgment dated 04.03.2025 and file by way of their own affidavits compliance reports/undertakings for compliance mentioning the timeline for execution of the judgment.

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त पारित आदेश दिनांक 20.02.2026 के अनुपालन में दिनांक 05.03.2026 को अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गयी। जिसमें निम्नांकित अधिकारी उपस्थित रहें-

1. श्री सौरभ गंगवार, नगर आयुक्त नगर निगम मेरठ।
2. श्री सूर्यकान्त त्रिपाठी, अपर जिलाधिकारी(वित्त/राजस्व) मेरठ।
3. श्री आनन्द कुमार सिंह, सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण मेरठ।
4. श्री पंकज कुमार, अपर नगर आयुक्त, नगर निगम मेरठ।
5. श्री अनुज चौबे, मुख्य विधि अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ (द्वारा-वीडियो कान्फेसिंग)
6. श्री आनन्द कुमार, मुख्य पर्यावरण अधिकारी, सर्किल-3 उ0प्र0 उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ (द्वारा-वीडियो कान्फेसिंग)
7. श्री राजेन्द्र प्रसाद, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पल्लवपुरम मेरठ।
8. श्री रवि प्रजापति, तहसीलदार मेरठ।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में शिकायतकर्ता श्री श्री रवीन्द्र सिंह, अध्यक्ष, ग्रीनबुड सिटी विला जनवेलफेयर सोसाइटी, ग्रीनबुड सिटी बिहाइन्ड, गाडविन होटल, बागपत बाईपास रोड, मेरठ एवं रेस्पोजेन्ट नं0-1 गॉडविन कंसल्टेशन कम्पनी प्रा0लि0-Through 1<sup>st</sup> Director & Ors को कार्यालय पत्रांक 1076/सी0आर0ए0/आर0सी0-प्रथम/प्रदूषण/2025-26 दिनांक 28.02.2026 के अर्न्तगत तहसीलदार मेरठ द्वारा सूचना देने के उपरान्त भी बैठक में उपस्थित नहीं हुए।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के आदेश के अनुपालन में नगर निगम मेरठ एवं मेरठ-विकास प्राधिकरण मेरठ द्वारा बाकीदार/फर्म की प्रोपर्टी की जानकारी प्राप्त की गयी। इस संबंध में वीडियो कान्फेसिंग के माध्यम से जुड़े श्री अनुज चौबे, मुख्य विधि अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ एवं श्री आनन्द कुमार, मुख्य पर्यावरण अधिकारी, सर्किल-3 उ0प्र0 उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ को प्रकरण की वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया। जिनसे मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के आदेश के अनुपालन में संबंधित बाकीदार/फर्म की प्रोपर्टी की जानकारी मेरठ विकास प्राधिकरण एवं नगर निगम मेरठ द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप बाकीदार/फर्म की संबंधित प्रोपर्टी अंकित करते हुए रिवाईज आर0सी0 वसूली हेतु उपलब्ध कराये हेतु अपेक्षा की गयी। जिससे कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में वसूली संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित करायी जा सकें।

उक्त बैठक में वीडियो कान्फेसिंग के माध्यम से जुड़े श्री अनुज चौबे, मुख्य विधि अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ एवं श्री आनन्द कुमार, मुख्य पर्यावरण अधिकारी, सर्किल-3 उ0प्र0 उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया कि प्रश्नगत प्रकरण में संबंधित बाकीदार/फर्म के विरुद्ध

रिवाईज आर०सी० मेरठ विकास प्राधिकरण मेरठ एवं नगर निगम मेरठ द्वारा उपलब्ध करायी गयी प्रोपर्टी संबंधी जानकारी इंगित करते हुए वसूली हेतु शीघ्र उपलब्ध करा दी जायेगी।

अन्त में श्री राजेन्द्र प्रसाद, क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पल्लवपुरम मेरठ को मेरठ विकास प्राधिकरण मेरठ एवं नगर निगम मेरठ द्वारा संबंधित बाकीदार/फर्म की प्रोपर्टी की डिटेल्स एवं तहसीलदार मेरठ द्वारा बाकीदार/फर्म संबंधी अभिलेखों की फर्द की प्रति प्राप्त करायी गयी तथा अपेक्षा की गयी कि वे प्रश्नगत प्रकरण में वसूली हेतु बाकीदार/फर्म की रिवाईज आर०सी० तत्काल उपलब्ध करायें। जिससे कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के आदेश के अनुपालन में वसूली संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित करायी जा सकें।

इस संबंध में अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व) मेरठ को निर्देशित किया गया कि वे रिवाईज आर०सी० प्राप्त होने के उपरान्त वसूली हेतु तहसीलदार मेरठ एवं उप-जिलाधिकारी मेरठ को तत्काल प्राप्त करायेगे तथा तहसीलदार एवं उप-जिलाधिकारी मेरठ रिवाईज आर०सी० प्राप्त होने के उपरान्त सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ एवं अपर नगर आयुक्त, नगर निगम मेरठ से बाकीदार/फर्म की सम्पत्ति से वसूली संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में सुनवाई की आगामी तिथि 18-03-2026 से पूर्व स्थायी अधिवक्ता मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली से सम्पर्क कर मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली को कृत कार्यवाही से अवगत करायें।

(डा० वी०के० सिंह)

जिलाधिकारी, मेरठ।

संख्या व दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. उपाध्यक्ष मेरठ विकास प्राधिकरण मेरठ।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम मेरठ।
3. अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व) मेरठ को उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु प्रेषित।
4. उप-जिलाधिकारी/तहसीलदार मेरठ को इस निर्देश के साथ कि प्रश्नगत प्रकरण में रिवाईज आर०सी० प्राप्त होने के उपरान्त सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ एवं अपर नगर आयुक्त, नगर निगम मेरठ से बाकीदार/फर्म की सम्पत्ति से वसूली संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में सुनवाई की आगामी तिथि 18-03-2026 से पूर्व स्थायी अधिवक्ता मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली से सम्पर्क कर मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली को कृत कार्यवाही से अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।
5. सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पल्लवपुरम मेरठ।
7. श्री अनुज चौबे, मुख्य विधि अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ।
8. श्री आनन्द कुमार, मुख्य पर्यावरण अधिकारी, सर्किल-3 उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ।

(डा० वी०के० सिंह)

जिलाधिकारी, मेरठ।



क्षेत्रीय कार्यालय  
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
पाकेट -टी,सी-3/2, पल्लवपुरम फेस-2,  
मोदीपुरम,मेरठ-250110 (उ0प्र0)

Annexure-3

संदर्भ सं०: 1996/G/E.A-66/2025/OA-492/2022/26 दिनांक: 06.03.2026

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)

मेरठ।

विषय:- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०- 492/2022, ग्रीनवुड सिटी विला वेलफेयर सोसाईटी बनाम गाडविन कन्स्ट्रक्शन कम्पनी प्रा० लि० थू इट्स डायरेक्टर व अन्य में पारित आदेश दिनांक- 04.03.2025 एवं ई० ए० सं०- 66/2025 इन ओ०ए० सं०- 492/2022 में पारित आदेश दिनांक- 20.02.2026 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्रांक- 1066/सी०आर०ए०/आर०सी०प्रथम/प्रदूषण/2025-26, दिनांक- 26.02.2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त सन्दर्भित विषयक दिनांक- 05.03.2026 को जिलाधिकारी महोदय, मेरठ की अध्यक्षता में आहूत बैठक के अनुक्रम में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०- 492/2022, ग्रीनवुड सिटी विला वेलफेयर सोसाईटी व अन्य बनाम गाडविन कन्स्ट्रक्शन कम्पनी प्रा० लि० थू इट्स डायरेक्टर व अन्य में पारित आदेश दिनांक- 04.03.2025 द्वारा प्रोजेक्ट प्रोपोनेट मै० गाडविन कन्स्ट्रक्शन कम्पनी प्रा० लि० थू इट्स डायरेक्टर श्री जितेन्द्र सिंह एवं श्री भूपेन्द्र सिंह के विरुद्ध लगायी गयी रू० 10.0 करोड़ की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को वसूल किये जाने हेतु क्षेत्रीय कार्यालय स्तर से पत्र जारी किये जाने के सम्बन्ध में बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच38717/एन०जी०टी०- 293/2026, दिनांक- 05.03.2026 द्वारा निर्देशित किया गया है। जिलाधिकारी महोदय, मेरठ की अध्यक्षता में दिनांक- 05.03.2026 को आहूत बैठक में नगर निगम, मेरठ, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ एवं तहसीलदार सदर, मेरठ द्वारा फर्म मै० गाडविन कन्स्ट्रक्शन कम्पनी प्रा० लि०, मेरठ तथा डायरेक्टर श्री जितेन्द्र सिंह एवं श्री भूपेन्द्र सिंह कार्यालय ग्रीनवुड सिटी नियर गाडविन होटल, बागपत बाईपास रोड़, मेरठ के नाम दर्ज सम्पत्तियों का विवरण उपलब्ध कराया गया, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

क्र० सं०	विभाग का नाम व पता	दर्ज सम्पत्ति के विवरण का सन्दर्भ	संलग्नक
1.	नगर निगम, मेरठ	पत्रांक- 1275/मु०क०नि०अधि०-न०नि०मेरठ/2026, दिनांक- 16.01.2026 द्वारा नगर निगम, मेरठ के कार्यालय अभिलेख में दर्ज सम्पत्ति का विवरण।	संलग्नक-1 (पृष्ठ संख्या- 1)
2.	मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ	पत्रांक- MeDA/2025-26/पी/39887, दिनांक- 18.02.2026 द्वारा प्राधिकरण से स्वीकृत तलपट मानचित्रों के अभिलेखों के आधार पर स्थित भूमि की सूचना।	संलग्नक-2 (पृष्ठ संख्या- 2 से 5)

कृ०प०उ०

बोर्ड मुख्यालय :- टी.सी.-12, वी. विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 उ०प्र०)

-2-


3.	तहसीलदार सदर, मेरठ	गाटा सं०- 1628 मि, गाटा सं०- 1627, गाटा सं०- 1626, गाटा सं०- 521, गाटा सं०- 416/1, गाटा सं०- 416/2 गाटा सं०- 514	संलग्नक-3 (पृष्ठ संख्या- 6 से 20)
----	-----------------------	--	---

पूर्व में जिला कलेक्टर, मेरठ से उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्र दिनांक- 23.06.2025 द्वारा उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि की वसूली हेतु अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में आपसे अनुरोध है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०- 492/2022 में पारित आदेश दिनांक- 04.03.2025 के अनुपालन में राज्य बोर्ड द्वारा उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को वसूल किये जाने के सम्बन्ध में प्रेषित पत्र दिनांक- 23.06.2025 के अनुक्रम में उपरोक्त वर्णित सम्बन्धित विभागों द्वारा उपलब्ध कराये गये उक्त तालिका में अंकित पत्रांक/संलग्नक में अंकित/उल्लिखित मै० गाडविन कन्स्ट्रक्शन कम्पनी प्रा० लि०, मेरठ तथा उसके डायरेक्टर श्री जितेन्द्र सिंह एवं श्री भूपेन्द्र सिंह कार्यालय- ग्रीनवुड सिटी नियर गाडविन होटल, बागपत बाईपास रोड, मेरठ के नाम दर्ज सम्पत्ति से वसूल किये जाने की कार्यवाही करने हेतु प्रेषित है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।


भवदीय,



(राजेन्द्र प्रसाद)  
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, मेरठ को सादर सूचनार्थ।
2. सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सादर सूचनार्थ।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-3), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. विधि प्रभारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।



क्षेत्रीय अधिकारी

O/c

## कार्यालय नगर निगम, मेरठ।

प्रेषक,

मुख्य कर निर्धारण अधिकारी,  
नगर निगम, मेरठ।वरिष्ठ प्रभारी अधिकारी  
(आंगल अभिलेखागार)  
कृते जिलाधिकारी, मेरठ।

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०),  
मेरठ।

पत्रांक- 1278/मु०क०नि०अधि०-न०नि०मे०/2026

दिनांक 16 जनवरी, 2026

विषय :- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकारण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-492/2022 में पारित आदेश दिनांक 04-03-2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, मेरठ के पत्र संख्या-1652/G/OA-492/2022/MRT/2026 दिनांक 06-01-2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा० राष्ट्रीय हरित अधिकारण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-492/2022 में पारित आदेश दिनांक 04-03-2025 के अनुपालन में सम्बन्धित बाकी फर्म मै० गाडविन कंस्ट्रक्शन कम्पनी प्रा०लि०, मेरठ तथा डायरेक्टर श्री जितेन्द्र सिंह एवं श्री भूपेन्द्र सिंह कार्यालय-ग्रीनवुड सिटी, नियर गॉडविन होटल, बागपत बाईपास रोड मेरठ की सम्पत्ति के सम्बन्ध में विवरण/सूचना आपको उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

इस सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि फर्म मै० गाडविन कंस्ट्रक्शन कम्पनी प्रा०लि०, मेरठ तथा डायरेक्टर श्री जितेन्द्र सिंह एवं श्री भूपेन्द्र सिंह कार्यालय-ग्रीनवुड सिटी, नियर गॉडविन होटल, बागपत बाईपास रोड मेरठ की नगर निगम मेरठ में दर्ज सम्पत्ति का विवरण निम्नप्रकार है :-

क्र० सं०	भवन संख्या	मौहल्ला	नगर निगम में दर्ज भवन स्वामी का नाम	गृहकर बिल 31.03.2026 तक
01	1-A	पावटी	गॉडविन होटल, C/O भूपेन्द्र सिंह वाजवा	1515885.80
02	236/K	खडौली-2	पंजाब एण्ड सिंध बैंक (जितेन्द्र वाजवा, भूपेन्द्र वाजवा)	373592.00
03	279/A	वंकरखेडा-3 पावटी	गोल्डन सर्विस प्रो० श्री जितेन्द्र वाजवा	10295.00
04	A-151	डिफेन्स कालोनी	बलवीर कौर पुत्र गुरुवचन सिंह	148908.00
05	A-38	डिफेन्स कालोनी	ग्रेड वैल्यू प्रोपर्टीज लि०	33658.00
06	न्यू-BM0407	नन्द विहार	गोडविन स्कूल (GIS द्वारा)	1043412.00
07	न्यू-BM5909	गोडविन कॉलोनी ग्रीनवुड सिटी	दैनिक जनवाणी (GIS द्वारा)	210776.00

उपरोक्त बिलों की प्रति संलग्न कर सेवा में प्रेषित है।

अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)  
मेरठ

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

20-1-2026

भवदीय,

मुख्य कर निर्धारण अधिकारी,  
नगर निगम मेरठ।

संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि :-

1. जिलाधिकारी मेरठ महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. नगर आयुक्त महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. श्री क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, पॉकेट-TC-3/2 पल्लवपुरम फेज-11, मोदीपुरम मेरठ को उनके उपरोक्त पत्र दिनांक 06-01-2026 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य कर निर्धारण अधिकारी,  
नगर निगम मेरठ।

1



# मेरठ विकास प्राधिकरण

35

अक्रमेणानुपायेन कर्मरम्भो न सिध्यति



265

2

संख्या-2

पत्रांक :- MeDA/25-26/P/39887

दिनांक :- 18/02/2026

सेवा में,  
अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)  
मेरठ।

विषय:-मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 492/2022 में पारित आदेश दिनांक 04.03.2025 एवं ई०ए० संख्या-66/2025 में पारित आदेश दिनांक 17.12.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक स्वकीय कार्यालय पत्र संख्या 1024/सी०आर०ए०/आर०सी०-प्रथम/प्रदूषण/2025-26 दिनांक 16.02.2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ई०ए० संख्या 66/2025 इन ओ०ए०-492/2022 में मा० एन०जी०टी० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.12.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय मेरठ की अध्यक्षता में दिनांक 05.01.2026 को आहूत बैठक के परिप्रेक्ष्य में निर्गत कार्यवृत्त संख्या 5607/ओ०एस०डी०कैम्प/2025-26 दिनांक 07.01.2026 के निर्देशों के क्रम में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ई०ए० संख्या 66/2025 इन ओ०ए०-492/2022 ग्रीनबुड सिटी जनवेलफेयर सोसायटी व अन्य बनाम गाडविन कंस्ट्रक्शन कम्पनी में अगली सुनवाई दिनांक 20.02.2026 से पूर्व मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली को अवगत कराने हेतु प्रश्नगत प्रकरण से सम्बन्धित बाकीदार/फर्म मै० गाडविन सिटी, नियर गॉडविन होटल, बागपत बाईपास रोड मेरठ की सम्पत्ति (चल/अचल) की स्पष्ट जानकारी से अवगत कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण से सम्बन्धित बाकीदार/फर्म मै० गाडविन सिटी, नियर गॉडविन होटल, बागपत बाईपास रोड मेरठ की प्राधिकरण से स्वीकृत तलपट मानचित्रों के अभिलेखों के आधार पर उक्त तलपट मानचित्रों के अन्तर्गत स्थित भूमि की सूचना पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

2381  
CRA

A. D. M. (F/R)  
Meerut 19.2.2026

Anand Kumar Singh  
सचिव  
Digitally Signed  
18/02/2026 05:59 PM

RC-I

20/02/2026  
CRA

प्रश्नगत प्रकरण से सम्बन्धित बाकीदार/फर्म में गाडविन सिटी, नियर गॉडविन होटल, बागपत बाईपास रोड मेरठ की सम्पत्ति (चल/अचल) के सम्बन्ध में विवरण निम्नवत है:-

ग्राम	स्वीकृत तलपट मा०सं०	खसरा सं०	क्षेत्रफल (हेक्ट० में)	स्वामित्व
अब्दुल्लापुर	18/06	514	0.7710	गॉडविन क०क० प्रा०लि० एवं श्री अरविन्द कुमार (पी.ओ.ए. श्री जितेन्द्र बाजवा)
		✓ 512	0.4160	गॉडविन क०क० प्रा०लि०
		511	0.4220	उपरोक्तानुसार
		510	0.2940	उपरोक्तानुसार
		509	0.4870	श्री उपेन्द्र सिंह
		✓ 508/1110	0.0040	गॉडविन क०क० प्रा०लि०
		✓ 507	0.4920	गॉडविन क०क० प्रा०लि०
गंगा नगर आवासीय योजना (ग्रेटर गंगा कालोनी)	01/02	-	44145.79 व. मी.	गॉडविन क०क० प्रा०लि० श्री जितेन्द्र बाजवा
मलियाना	28/06	1626	0.310	श्री भूपेन्द्र सिंह बाजवा
		1627	0.632	श्री भूपेन्द्र सिंह बाजवा
		✓ 1628	0.708	गॉडविन क०क० प्रा०लि०
पांचली खुर्द		521	1.947	जितेन्द्र सिंह बाजवा व अन्य
रामपुर पावटी		409	0.139	गॉडविन क०क० प्रा०लि० श्री शम्भू नाथ व अन्य
		410/1	0.253	गॉडविन क०क० प्रा०लि० श्री शम्भू नाथ व अन्य
		410/2	1.210	गॉडविन क०क० प्रा०लि० श्री शम्भू नाथ व अन्य
		411	3.038	गॉडविन क०क० प्रा०लि० श्री राम आनन्द
		412	0.215	गॉडविन क०क० प्रा०लि० श्री राम आनन्द
		413	0.177	गॉडविन क०क० प्रा०लि० श्री राम आनन्द
		414/2	0.414	श्री जितेन्द्र सिंह बाजवा व अन्य
		414	0.417	श्री जितेन्द्र सिंह बाजवा व अन्य
		415/1	0.114	गॉडविन क०क० प्रा०लि० श्री शम्भू नाथ व अन्य
		415/2	1.376	गॉडविन क०क० प्रा०लि० श्री शम्भू नाथ व अन्य
		416/1	0.114	श्री जितेन्द्र सिंह बाजवा व अन्य

8250/1/1

416/2	0.190	श्री जितेन्द्र सिंह बाजवा व अन्य
417/2	0.030	श्री जितेन्द्र सिंह बाजवा व अन्य
417/3	0.114	गॉडविन क०क० प्रा०लि०
418	0.240	गॉडविन क०क० प्रा०लि०
419	0.918	श्री जितेन्द्र सिंह बाजवा व अन्य
420	0.139	गॉडविन क०क० प्रा०लि०
421/2	0.481	गॉडविन क०क० प्रा०लि० श्री प्रमू. नाथ व अन्य
422	0.076	श्री जितेन्द्र सिंह बाजवा व अन्य
423	5.5464	श्री जितेन्द्र सिंह बाजवा व अन्य

विकासकर्ता मै० गॉडविन कन्सट्रक्शन प्रा०लि० द्वारा ग्राम रामपुर पावटी के खसरा संख्या 409, 410/2, 410/3, 411 से 423, ग्राम मलियाना मेरठ के खसरा संख्या 1626, 1627, 1628पी तथा ग्राम पांचली खुर्द मेरठ के खसरा-521पी कुल क्षेत्रफल 193660.00 वर्ग मी० पर ग्रीनबुड सिटी कालोनी का तलपट मानचित्र सं०-28/06 प्राधिकरण से दिनांक 26.09.07 को स्वीकृत कराया गया था।

मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश में मैसर्स गॉडविन कन्सट्रक्शन प्रा०लि० अर्थात् कम्पनी से वसूली हेतु आदेश में प्रश्नगत फर्म की जानकारी प्राप्त कर यह कम्पनी वर्ष 2021 में ही बन्द हो चुकी है तथा वर्तमान में कहीं भी किसी भी प्रकार से अस्तित्व में नहीं है। इस सम्बन्ध में नगर निगम, मेरठ द्वारा भी बाकीदार उपरोक्त के नाम से कोई सम्पत्ति दर्ज न होने का उल्लेख किया था तथा लेखपाल/राजस्व निरीक्षक तहसील मेरठ द्वारा भी उल्लेख किया गया कि बाकीदार/फर्म के बैंक खातों की जानकारी करने पर भी खातों की जानकारी करने पर भी खातों की सही जानकारी प्राप्त न होने, चूंकि बाकीदार/फर्म वर्तमान में संचालित नहीं है। चूंकि मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा स्पष्ट रूप से कम्पनी की सम्पत्ति से उक्त धनराशि वसूल करने का आदेश है, डायरेक्टर से निजी तौर पर उक्त धनराशि वसूल नहीं किये जाने, इसके अतिरिक्त श्री जितेन्द्र सिंह बाजवा से सम्पर्क करने पर उनके द्वारा कम्पनी के बैंक खाते वर्ष 2021 में बैंको के साथ लेन-देन पूर्ण कर बन्द कर कम्पनी समाप्त कर दिये जाने, भारत सरकार के कम्पनी मामलो के मंत्रालय द्वारा भी इस कम्पनी का अस्तित्व समाप्त कर कम्पनी डी-लिस्ट होने का उल्लेख करते हुए कम्पनी से मांग पत्र में निहित धनराशि को वसूल कर पानी सम्भव न होने से अगवत कराते हुए वसूली मांग पत्र मूल रूप से वापस किया गया है।

मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.04.2023 के क्रम में वाहय विकास शुल्क के रूप में अंकन रू० 45,74,42,743.63 (दण्ड ब्याज दिनांक 26.05.2025 तक) एवं अन्य देयता मै० गॉडविन कन्सट्रक्शन प्रा०लि० द्वारा अधिकृत डायरेक्टर, कम्पनी पता मुख्य कार्यालय सी०एम०सी० 38, छिप्पी टैंक, मेरठ से भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल करने हेतु तहसीलदार, क्षेत्र सदर, मेरठ को भी कार्यालय पत्रांक MeDA/25-26/P/19074-6 दिनांक 01.09.2025 प्रेषित किया गया है।

शोभापुर	35/12	664	6070.00 व.मी.	श्रीमती दीपा जैन
		664	6070.00 व.मी.	श्री प्रतीक जैन
		684/1	18960.00 व.मी.	श्री हरिओम अग्रवाल एवं संगीता अग्रवाल
		684	2107.00 व.मी.	श्री राजीव कुमार
		932	2020.00 व.मी.	श्री म.ती....

	687	1900.00 व.मी.	श्री राजीव कुमार
	693	2080.00 व.मी.	श्री राजीव कुमार
	209	139.10 व.मी.	श्री रिछपाल सिंह
	209	148.74 व.मी.	श्री राजीव कुमार

विकासकर्ता श्री हरिओग अग्रवाल पुत्र स्व० श्री संदीप गर्ग, निवासी वी-184वी आवृत्त मेरठ द्वारा खसरा संख्या 664, 684, 929मि०, 932मि०, 937, 938मि०, 987मि०, 993मि०, 694मि०, ग्राम शोभापुर मेरठ तथा संख्या संख्या 209मि० ग्राम खडौली मेरठ कुल क्षेत्रफल 37443.00 वर्ग मी० पर गोल्ड कोस्ट कालोनी, रोहटा रोड मेरठ का तलपट मानचित्र संख्या-35/12 दिनांक 22.10.2013 को प्राधिकरण से स्वीकृत कराया गया था।

अध्यक्ष, गोल्ड कोस्ट परिवार कल्याण विकास समिति द्वारा पत्र के साथ प्रस्तुत विक्रय-विलेख के अनुसार राजस्व ग्राम शोभापुर, परगना व तहसील व जिला मेरठ गोल्ड कोस्ट कालोनी के आवासीय भवन संख्या (विला) ए-194 विक्रय किया गया, जिसके प्रथम पक्ष व्यक्तिगत स्वामी एवं वास्तविक अधिकारी है, जिसके दृष्टिगत प्रश्नगत कालोनी के समस्त विकास कार्यों को पूर्ण करने का उत्तरदायित्व विकासकर्ता मैसर्स गेट वैल्यू बिल्डकॉन प्रा०लि० द्वारा डायरेक्टर श्री जितेन्द्र सिंह बाजवा पुत्र श्री गुरबचन सिंह, निवासी ए-151, डिफेंस कालोनी, मवाना रोड, मेरठ का है।

  
 (तेज प्रताप सिंह)  
 मुख्य नगर नियोजक  
 मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ



## उद्धरण खतौनी (शासकीय)



उद्धरण क्रमांक : 2190342026031127

ग्राम क्रमांक : 219034      ग्राम का नाम (परगना) : मलियाना(मेरठ)      तहसील : सदर      जनपद : मेरठ      फसली वर्ष : 1427-1432 (01 जुलाई, 2019 से 30 जून, 2025)      भाग : 1      (1)खाता संख्या : 00545

श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों के अधिकार में हो।

खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खातेदार का अंश		
खसरा/गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (यूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे.)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में (हे.)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व
1628मि.	1) मैसर्स गाडविन कन्सट्रक्शन / . / . 2) प्रा0लि0 मेरठ द्वारा डायरेक्टर / . / . 3) भूपेन्द्र सिंह बाजवा पुत्र / . / . 4) गुरुचन सिंह नि0 ए 151 / . / . 5) डिफेंस कालोनी मवना / . / . 6) रोड मेरठ / . / .		1415	1628मि. (2190341628200112)	0.7080			19.20

कुल गाटे- 1      कुल क्षेत्रफल- 0.7080 (हेक्टेयर)      कुल भू-राजस्व - 19.20 रुपये      कुल अंश का क्षेत्रफल - ( 0.0000)(हेक्टेयर)

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण		खारिज किया गया			दर्ज किया गया		
(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन	(12) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(13) क्षेत्रफल (हे.)	(14) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9	(15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(16) क्षेत्रफल (हे.)	

219034-3  
6

	नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)			स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	
		1628मि. (2190341628200112)			1628मि.(2190341628200112)

(17)भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद/वादों की कम्प्यूटरीकृत संख्या :

(18)बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1)बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(18.2)बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(19)अभ्युक्ति :

पूर्व आदेशों का विवरण

Data Digitally Signed by:S K TIWARI(REGISTRAR KANUNGO)

दिनांक/समय/स्थान: 05-03-2026 12:52:21 तहसील : सदर

यह उद्घरण खतीनी इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

मुद्रित कर्ता : MAHAK SINGH तहसील : सदर

मुद्रित दिनांक एवं समय: 05-03-2026 12:52:21

Not Applicable For Online Prints उपरोक्त उद्घरण खतीनी का वेरिफिकेशन <https://upbhulekh.gov.in> Website पर जाकर अथवा QR Code Scan करके किया जा सकता है।





## उद्धरण खतौनी (शासकीय)



उद्धरण क्रमांक : 2190342026031126

ग्राम क्रमांक : 219034	ग्राम का नाम (परगना) : मलियाना(मेरठ)	तहसील : सदर	जनपद : मेरठ	फसली वर्ष : 1427-1432 (01 जुलाई, 2019 से 30 जून, 2025)	भाग : 1	(1)खाता संख्या : 00227
---------------------------	---	----------------	----------------	--	------------	---------------------------

श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों के अधिकार में हो।

खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खातेदार का अंश		
खसरा/गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (यूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे.)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में (हे.)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व
1627	1) जनकराज / दर्शनलाल / 138/5ए-पटेलनगर मेरठ शहर 2) नरेश कुमार / दर्शनलाल / 138/5ए-पटेलनगर मेरठ शहर 3) सतीश कुमार / दर्शनलाल / 138/5ए-पटेलनगर मेरठ शहर 4) निशान्त कुमार / दर्शनलाल / शम्भू नगर मेरठ 5) दर्शनलाल / जसवन्त / शम्भू नगर मेरठ ✓ 6) भूपेन्द्र सिंह / जी० सिंह / पिलना सोफीपुर		1383	1627(2190341627000012)	0.6200			17.70

कुल गाटे- 1 कुल क्षेत्रफल- 0.6200 (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - 17.70 रुपये कुल अंश का क्षेत्रफल - ( 0.0000)(हेक्टेयर)

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण		खारिज किया गया			दर्ज किया गया		
(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का	(11) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का	(12) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(13) क्षेत्रफल (हे.)	(14) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड	(15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(16) क्षेत्रफल (हे.)	

आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)			/ आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)		
1) ऑनलाइन उत्तराधिकार / 20221113800734003051 / 21-09-2022 / बरासत / RAMLAL SINGH / 07-06-2023	1.1) सतीश कुमार / दर्शनलाल / 138/5ए-पटेलनगर मेरठ शहर (शेष क्षेत्रफल : 0.0000)	1627(2190341627000012)	1.1) 0.0000	1.1) किरण पारुथी / स्व० सतीश कुमार / 100-101 आर०आर०पैलेस वैस्टर्न रोड मेरठ 1.2) कुनाल पारुथी / स्व० सतीश कुमार / 100-101 आर०आर०पैलेस वैस्टर्न रोड मेरठ 1.3) सिद्धार्थ पारुथी / स्व० सतीश कुमार / 100-101 आर०आर०पैलेस वैस्टर्न रोड मेरठ	1627(2190341627000012)	1.1) 0.0000 1.2) 0.0000 1.3) 0.0000

1) कृषिक से अकृषिक (धारा 80) : 1413फ न्यायालय उपलाधिकारी मेरठ वाद सं० 99 अन्तर्गत धारा 143 यू०पी०जैड०ए०एण्ड०एल०आर०एक्ट ग्राम मलियाना, पर०तह० व जिला मेरठ निशान्त कुमार आदि बनाम सरकार उपरोक्त वाद में इस न्यायालय द्वारा दि० 8-5-06 को तहसीलदार मेरठ की जाँच आख्या दि० 31-3-06 को स्वीकार करते हुए निम्न आदेश पारित किये गये है प्रश्रगत भूमि खाता स० 192, ख०नं० 1581/3.149है०, 1622/0.278है० 1623/0.544है०, 1627/0.620है०, का 1/2 भाग, ख०नं० 1610/0.783है० का 1/2 भाग, ख०नं० 1620मि./0.275है० 1616/1.147है०, 1617/0.132है० व खाता सं० 638, ख०नं० 1579/1.964है० लगानी परतानुसार स्थित ग्राम मलियाना पर०तह० व जिला मेरठ को अकृषक घोषित किया जाता है तथा परता लगान माफ किया जाता है। प्रतिबन्ध यह होगा कि समय-समय पर शासकीय संस्थाओं यथा मेरठ विकास प्राधिकरण, आवास-विकासपरिषद अथवा अन्य के द्वारा यदि कोई शर्तें /प्रतिबन्ध वर्णित भूमि पर लगाये जाते है तो वह इस पर पूर्णतः लागू होंगे ह०(शिशिर) उपजिलाधिकारी मेरठ 3-6-06 ह०आर०के० 28-6-06 (डिजिटल हस्ताक्षर : RAMLAL SINGH / 07-06-2023)

(17)भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद/वादों की कम्प्यूटरीकृत संख्या :

(18)बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1)बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(18.2)बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(19)अभ्युक्ति :

पूर्व आदेशों का विवरण

1) 1413फ न्यायालय उपलाधिकारी मेरठ वाद सं० 99 अन्तर्गत धारा 143 यू०पी०जैड०ए०एण्ड०एल०आर० एक्टग्राम मलियाना, पर०तह० व जिला मेरठ निशान्त कुमार आदि बनाम सरकार उपरोक्त वाद में इस न्यायालय द्वारा दि० 8-5-06 को तहसीलदार मेरठ की जाँच आख्या दि० 31-3-06 को स्वीकार करते हुए

2) निम्न आदेश पारित किये गये है प्रश्रगत भूमि खाता स०192, ख०नं० 1581/3.149है०, 1622/0.278है० 1623/0.544है०, 1627/0.620है०, का 1/2 भाग, ख०नं०1610/0.783है० का 1/2 भाग,

ख0नं0 1620मि/ 0.275है01616/1.147है0, 1617/0.132है0 व खाता सं0638, ख0नं0 1579/1.964है0 लगानी परतानुसार

3) स्थित ग्राम मलियाना पर0तह0 व जिला मेरठ को अकृषक घोषित किया जाता है तथा परता लगानमाफ किया जाता है। प्रतिबन्ध यह होगा कि समय-समय पर शासकीय संस्थाओं यथा मेरठ विकास प्राधिकरण, आवास-विकास परिषद अथवा अन्य के द्वारा यदि कोई शर्तें /प्रतिबन्ध वर्णित भूमि पर

4) लगाये जाते है तो वह इस पर पूर्णतः लागू होग ह0(शिशिर)उपजिलाधिकारी मेरठ 3-6-06 ह0आर0के0 28-6-06

5) 1430फ० आदेश रा०नि० द्वारा आर०सी० प्रपत्र-9 कम्प्यूटरीकृत आवेदन संख्या 20221113800734003051/21-9-22 के अन्तर्गत आदेश हुआ कि ग्राम मलियाना के खाता सं० 227 पर मृतक सतीश कुमार पुत्र दर्शनलाल के स्थान पर श्रीमती किरण पारुथी पत्नी स्व० सतीश कुमार, कुनाल पारुथी, सिद्धार्थ पारुथी पुत्रगण सतीश कुमार नि० 100-101 आर०आर०पैलेस वैस्टर्न रोड मेरठ के नाम उत्तराधिकारी के रूप में अंकित हो। ह०अ० 21-9-22

Data Digitally Signed by:RAMLAL SINGH(REVENUE INSPECTOR)

दिनांक/समय/स्थान: 05-03-2026 12:51:50 तहसील : सदर

यह उद्गण खतीनी इलेक्ट्रोनिक डिजिटल सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

मुद्रित कर्ता : MAHAK SINGH तहसील : सदर

मुद्रित दिनांक एवं समय: 05-03-2026 12:51:50

Not Applicable For Online Prints उपरोक्त उद्गण खतीनी का वेरीफिकेशन <https://upbhulekh.gov.in> Website पर जाकर अथवा QR Code Scan करके किया जा सकता है।





## उद्धरण खतौनी (शासकीय)

उद्धरण क्रमांक : 2190342026031125


ग्राम क्रमांक : 219034	ग्राम का नाम (परगना) : मलियाना(मेरठ)	तहसील : सदर	जनपद : मेरठ	फसली वर्ष : 1427-1432 (01 जुलाई, 2019 से 30 जून, 2025)	भाग : 1	(1)खाता संख्या : 00442
---------------------------	---	----------------	----------------	--	------------	---------------------------

श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरो के अधिकार में हो।

खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खातेदार का अंश		
खसरा/ गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (यूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे.)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में (हे.)	(9) खातेदार द्वारा देय भू- राजस्व
1626	1) भूपेन्द्र सिंह / जीत सिंह / पिलना सोफीपुर		1381	1626(2190341626000012)	0.6320	1) 1/1	1) 0.6320	27.15
							0.6320	

कुल गाटे- 1 कुल क्षेत्रफल- 0.6320 (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - 27.15 रुपये कुल अंश का क्षेत्रफल - ( 0.6320)(हेक्टेयर)

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण		खारिज किया गया			दर्ज किया गया		
(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम / पिता-पति- संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(12) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(13) क्षेत्रफल (हे.)	(14) नाम / पिता-पति-संरक्षक- प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(16) क्षेत्रफल (हे.)	
		1626(2190341626000012)			1626(2190341626000012)		

(17)भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद/वादों की कम्प्यूटरीकृत संख्या :		
(18)बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति		
(18.1)बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :		
(18.2)बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :		
(19)अभ्युक्ति :		
<u>पूर्व आदेशों का विवरण</u>		
<p>Data Digitally Signed by:S K TIWARI(REGISTRAR KANUNGO)</p> <p>दिनांक/समय/स्थान: 05-03-2026 12:51:23 तहसील : सदर</p> <p>यह उद्घरण खतौनी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।</p>	<p>मुद्रित कर्ता : MAHAK SINGH तहसील : सदर</p> <p>मुद्रित दिनांक एवं समय: 05-03-2026 12:51:23</p> <p>Not Applicable For Online Prints उपरोक्त उद्घरण खतौनी का वेरीफिकेशन <a href="https://upbhulekh.gov.in">https://upbhulekh.gov.in</a> Website पर जाकर अथवा QR Code Scan करके किया जा सकता है।</p>	



## उद्धरण खतौनी (शासकीय)



उद्धरण क्रमांक : 1190832026031507

ग्राम क्रमांक : 119083	ग्राम का नाम (परगना) : पांचली खुर्द(मेरठ)	तहसील : सदर	जनपद : मेरठ	फसली वर्ष : 1427-1432 (01 जुलाई, 2019 से 30 जून, 2025)	भाग : 1	(1)खाता संख्या : 00467		
श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरो के अधिकार में हो								
खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खातेदार का अंश		
खसरा/ गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (यूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे.)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में (हे.)	(9) खातेदार द्वारा देय भू- राजस्व
521	1) भूपेन्द्र सिंह / जी. सिंह / पिलना सोफीपुर 2) जितेन्द्र बाजवा / जी0बी0 सिंह / 151, डिफेन्स कालौनी मवाना रोड 3) भूपेन्द्र सिंह बाजवा / जी0बी0 सिंह / 151, डिफेन्स कालौनी मवाना रोड		पू01381	521(1190830521000012)	0.1260			7.10
कुल गाटे- 1 कुल क्षेत्रफल- 0.1260 (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - 7.10 रुपये कुल अंश का क्षेत्रफल - ( 0.0000)(हेक्टेयर)								
नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण		खारिज किया गया		दर्ज किया गया				
(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम / पिता-पति- संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के	(12) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(13) क्षेत्रफल (हे.)	(14) नाम / पिता-पति-संरक्षक- प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(16) क्षेत्रफल (हे.)		

	अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)				
		521(1190830521000012)			521(1190830521000012)
<b>(17)भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद/वादों की कम्प्यूटरीकृत संख्या :</b>					
<b>(18)बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति</b>					
<b>(18.1)बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :</b>					
<b>(18.2)बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :</b>					
<b>(19)अभ्युक्ति :</b>					
<b>पूर्व आदेशों का विवरण</b>					
1) 1414फ न्यायालय उपजिलाधिकारी मेरठ वाद सं0 159 अन्तर्गत धारा 143 यू0पी0जैड0ए0एण्ड0एल0आर0एक्ट ग्राम पांचली खुर्द पर0तह0 व जिला मेरठ मनोज कुमार बनाम सरकार उपरोक्त वाद में, इस न्यायालयद्वारा दि0 12-7-06 को, तहसीलदार मेरठ की जाँच आख्या दि0 12-6-06को स्वीकार करते हुए, निम्न					
2) आदेश पारित किये गये है- प्रश्नगत भूमि खाता सं0 299 के ख0नं0 521क /0.1900है0, ख0नं0 529क /0.0130है0, ख0नं0 537क /0.0130है0 व खाता सं0 702 के ख0नं0 524/0.1390है0, ख0नं0 526/0.4610है0 व खाता सं0 703 के ख0नं0 521/0.1260है0 व खाता सं0 582के ख0नं0 521/1.6950है0,ख0नं0 529मि./0.3290					
3) है0 व खाता सं0 718 के ख0नं0 521मि./3.0350है0 लगानपरतानुसार स्थित ग्राम पांचली खुर्द पर0तह0 व जिला मेरठ को अकृषक घोषित किया जाता है तथा परता लगान माफ किया जाता है।					
4) ह0(शिशिर) उपजिलाधिकारी मेरठ 13-7-06 ह0आर0के0 6-9-06					
<b>Data Digitally Signed by:S K TIWARI(REGISTRAR KANUNGO)</b> दिनांक/समय/स्थान: 05-03-2026 12:50:29 तहसील : सदर यह उद्घरण खतौनी इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।		मुद्रित कर्ता : MAHAK SINGH तहसील : सदर मुद्रित दिनांक एवं समय: 05-03-2026 12:50:29 Not Applicable For Online Prints उपरोक्त उद्घरण खतौनी का वेरिफिकेशन <a href="https://upbhulekh.gov.in">https://upbhulekh.gov.in</a> Website पर जाकर अथवा QR Code Scan करके किया जा सकता है।			



## उद्धरण खतौनी (शासकीय)



उद्धरण क्रमांक : 219044202603249


ग्राम क्रमांक : 219044	ग्राम का नाम (परगना) : रामपुर पावटी(मेरठ)	तहसील : सदर	जनपद : मेरठ	फसली वर्ष : 1428-1433 (01 जुलाई, 2020 से 30 जून, 2026)	भाग : 1	(1)खाता संख्या : 00106
---------------------------	--	----------------	----------------	---	------------	---------------------------

श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों के अधिकार में हो।

खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खातेदार का अंश		
खसरा/ गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (यूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे.)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में (हे.)	(9) खातेदार द्वारा देय भू- राजस्व
416/1	1) बलबीर कौर पत्नी / सरदार गुरवचन सिंह / पिलना सोफीपुर 2) द्वारा कारकून / . / . 3) जितेन्द्र सिंह / सरदार गुरवचन सिंह / डिफेन्स कालौनी मेरठ		1412	416/1(2190440416100112)	0.1140			9.10

कुल गाटे- 1 कुल क्षेत्रफल- 0.1140 (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - 9.10 रुपये कुल अंश का क्षेत्रफल - ( 0.0000)(हेक्टेयर)

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण		खारिज किया गया			दर्ज किया गया		
(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम / पिता-पति- संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के	(12) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(13) क्षेत्रफल (हे.)	(14) नाम / पिता-पति-संरक्षक- प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(16) क्षेत्रफल (हे.)	

	अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)				
		416/1(2190440416100112)			416/1(2190440416100112)
<b>(17)भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद/वादों की कम्प्यूटरीकृत संख्या :</b>					
<b>(18)बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति</b>					
<b>(18.1)बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :</b>					
<b>(18.2)बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :</b>					
<b>(19)अभ्युक्ति :</b>					
<b>पूर्व आदेशों का विवरण</b>					
<p>1) 1414फ न्यायालय उपजिलाधिकारी मेरठ वाद सं0 159 अन्तर्गत धारा 143 यू0पी0जैड0ए0एण्ड0एल0आर0 एकट ग्राम रामपुर पावटी पर0तह0 व जिला मेरठ मनोज कुमार बनाम सरकार उपरोक्त वाद में इस न्यायालय द्वारा दि0 12-7-06 को तहसील मेरठ की जाँच आख्या दि0 12-6-06 को स्वीकार करते हुए, निम्न आदेश</p> <p>2) पारित किये गये है- प्रश्नगत भूमि खाता सं0 206 के ख0नं0 416/1/0.1140है0, ख0नं0 416/2/0.1900है0 व खाता सं0 184 के ख0नं0 417/2/0.0380है0 व खाता सं0 161के ख0नं0 409/0.1390है0,ख0नं0 411/3.0380 है0, ख0नं0 419/0.9480है0, ख0नं0 422/0.0760है0, ख0नं0 423मि./5.5870है0, ख0नं0 428/3/0.1260है0</p> <p>3) ख0नं0 426/0.0890है0 व खाता सं0 180 के ख0नं0 410/2/0.1590है0, ख0नं0 414/0.4170है0 व खाता सं0 217 के ख0नं0 412/0.2150है0, 413/0.1770है0 व खाता सं0 160 के ख0नं0 415/0.4810है0 व खाता सं0 215 के ख0नं0 421/2/0.1140है0 व खाता सं0 170के ख0नं0 328/0.1010है0, ख0नं0 417/3/0.1140</p> <p>4) है0 व खाता सं0 029 के ख0नं0 417/1/0.1520है0 लगान परतानुसार स्थित ग्राम रामपुर पावटी पर0 तह0 व जिला मेरठ को अकृषक घोषित किया जाता है तथा परता लगान माफ किया जाता है। प्रतिबन्ध यह होगा कि समय-समय पर शासकीय संस्थाओ यथा मेरठ विकास प्राधिकरण, आवास-विकास परिषद अथवा अन्य के</p> <p>5) द्वारा यदि कोई शर्तें /प्रतिबन्ध वर्णित भूमि पर लगाये जाते है, तो वह इस पर पूर्णतः लागू होंगे। ह0(शिशिर) उपजिलाधिकारी मेरठ 13-7-06 ह0आर0के0 6-9-06</p>					
<b>Data Digitally Signed by:POOJA SHARMA(REGISTRAR KANOONGO)</b> दिनांक/समय/स्थान: 05-03-2026 12:59:14 तहसील : सदा यह उद्घरण-छतोनी इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।		मुद्रित कर्ता : MAHAK SINGH तहसील : सदा मुद्रित दिनांक एवं समय: 05-03-2026 12:59:14 Not Applicable For Online Prints उपरोक्त उद्घरण छतोनी का वेबफिक्शन <a href="https://upbhulekh.gov.in">https://upbhulekh.gov.in</a> Website पर जाकर अथवा QR Code Scan करके किया जा सकता है।			



## उद्धरण खतौनी (शासकीय)



उद्धरण क्रमांक : 219044202603248

ग्राम क्रमांक : 219044	ग्राम का नाम (परगना) : रामपुर पावटी(मेरठ)	तहसील : सदर	जनपद : मेरठ	फसली वर्ष : 1428-1433 (01 जुलाई, 2020 से 30 जून, 2026)	भाग : 1	(1)खाता संख्या : 00106
---------------------------	--	----------------	----------------	---	------------	---------------------------

श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों के अधिकार में हो।

खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खातेदार का अंश		
खसरा/ गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (यूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे.)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में (हे.)	(9) खातेदार द्वारा देय भू- राजस्व
416/2	1) बलवीर कौर पत्नी / सरदार गुरवचन सिंह / पिलना सोफीपुर 2) द्वारा काकून / . / . 3) जितेन्द्र सिंह / सरदार गुरवचन सिंह / डिफेन्स कालौनी मेरठ		1412	416/2(2190440416100212)	0.1900			9.10

कुल गाटे- 1 कुल क्षेत्रफल- 0.1900 (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - 9.10 रुपये कुल अंश का क्षेत्रफल - ( 0.0000)(हेक्टेयर)

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण		खारिज किया गया			दर्ज किया गया		
(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम / पिता-पति- संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के	(12) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(13) क्षेत्रफल (हे.)	(14) नाम / पिता-पति-संरक्षक- प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(16) क्षेत्रफल (हे.)	

	अंक) / पत्ता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)				
		416/2(2190440416100212)			416/2(2190440416100212)
<b>(17)भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद/वादों की कम्प्यूटरीकृत संख्या :</b>					
<b>(18)बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति</b>					
<b>(18.1)बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :</b>					
<b>(18.2)बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :</b>					
<b>(19)अभ्युक्ति :</b>					
<b>पूर्व आदेशों का विवरण</b>					
1) 1414फ न्यायालय उपजिलाधिकारी मेरठ वाद सं0 159 अन्तर्गत धारा 143 यू0पी0जैड0ए0एण्ड0एल0आर0 एकट ग्राम रामपुर पावटी पर0तह0 व जिला मेरठ मनोज कुमार बनाम सरकार उपरोक्त वाद में इस न्यायालय द्वारा दि0 12-7-06 को तहसील मेरठ की जाँच आख्या दि0 12-6-06 को स्वीकार करते हुए, निम्न आदेश					
2) पारित किये गये है- प्रश्नगत भूमि खाता सं0 206 के ख0नं0 416/1/0.1140है0, ख0नं0 416/2/0.1900है0 व खाता सं0 184 के ख0नं0 417/2/0.0380है0 व खाता सं0 161के ख0नं0 409/0.1390है0, ख0नं0 411/3.0380 है0, ख0नं0 419/0.9480है0, ख0नं0 422/0.0760है0, ख0नं0 423मि./5.5870है0, ख0नं0 428/3/0.1260है0					
3) ख0नं0 426/0.0890है0 व खाता सं0 180 के ख0नं0 410/2/0.1590है0, ख0नं0 414/0.4170है0 व खाता सं0 217 के ख0नं0 412/0.2150है0, 413/0.1770है0 व खाता सं0 160 के ख0नं0 415/0.4810है0 व खाता सं0 215 के ख0नं0 421/2/0.1140है0 व खाता सं0 170के ख0नं0 328/0.1010है0, ख0नं0 417/3/0.1140					
4) है0 व खाता सं0 029 के ख0नं0 417/1/0.1520है0 लगान परतानुसार स्थित ग्राम रामपुर पावटी पर0 तह0 व जिला मेरठ को अकृषक घोषित किया जाता है तथा परता लगान माफ किया जाता है। प्रतिबन्ध यह होगा कि समय-समय पर शासकीय संस्थाओ यथा मेरठ विकास प्राधिकरण, आवास-विकास परिषद अथवा अन्य के					
5) द्वारा यदि कोई शर्तें /प्रतिबन्ध वर्णित भूमि पर लगाये जाते है, तो वह इस पर पूर्णतः लागू होंगें। ह0(शिशिर) उपजिलाधिकारी मेरठ 13-7-06 ह0आर0के0 6-9-06					
<b>Data Digitally Signed by:POOJA SHARMA(REGISTRAR KANOONGO)</b> दिनांक/समय/स्थान: 05-03-2026 12:58:36 तहसील : सदर यह उद्गण खतीनी इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।		मुद्रित कर्ता : MAHAK SINGH तहसील : सदर मुद्रित दिनांक एवं समय: 05-03-2026 12:58:36 Not Applicable For Online Prints उपरोक्त उद्गण खतीनी का वेरोफिकेशन <a href="https://upbhulekh.gov.in">https://upbhulekh.gov.in</a> Website पर जाकर अथवा QR Code Scan करके किया जा सकता है।			



## उद्धरण खतौनी (शासकीय)



उद्धरण क्रमांक : 219003202603764

ग्राम क्रमांक : 219003 ग्राम का नाम (परगना) : अब्दुलापुर(मेरठ) तहसील : सदर जनपद : मेरठ फसली वर्ष : 1429-1434 (01 जुलाई, 2021 से 30 जून, 2027) भाग : 1 (1)खाता संख्या : 00095

श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों के अधिकार में हो।

खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खातेदार का अंश		
खसरा/गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पै नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (यूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे.)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में (हे.)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व
514	1) गाडविन कन्स्ट्रक्शन प्रा0लि0 / . / . 2) मेरठ द्वारा डायरेक्टर / . / . 3) जितेन्द्र वाजवा / गुरुवचन सिंह / ए-151 डिफेंस कालोनी मवानारोड मेरठ शहर 4) मोहम्मद यासीन / बदरुद्दीन / अब्दुल्लापुर 5) मौ0नदीम / हाजी मौ0यासीन / अब्दुल्लापुर 6) विनीत पाल सिंह / सत्यवान सिंह / 49/4जाग्रति विहार मेरठ 7) नीरज भारती / आर0पी0भारती / 660/2मंगलपाण्डे नगर मेरठ 8) नजाकत अली / शफकत त अली / 269रसीद नगर मेरठ 9) योगेश वर्मा / शफकत त अली / 269रसीद नगर मेरठ 10) योगेश वर्मा / अरविन्द कुमार / डी-एच-205फेस प्रथम पल्लवपुरम मेरठ 11) अजय पंकज / मूलचन्द पंकज / 371/डी न्यू गोविन्दपुरी कंकरखेडा मेरठ		1414	514(2190030514000012)	0.7710			38.10
कुल गाटे- 1 कुल क्षेत्रफल- 0.7710 (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - 38.10 रुपये कुल अंश का क्षेत्रफल - ( 0.0000)(हेक्टेयर)								
नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण		खारिज किया गया			दर्ज किया गया			
(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश	(11) नाम / पिता-पति-	(12) गाटे का खसरा नम्बर /	(13) क्षेत्रफल	(14) नाम / पिता-पति-संरक्षक-	(15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(16) क्षेत्रफल		

संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	यूनीक कोड	(हे.)	प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(हे.)
		514(2190030514000012)			514(2190030514000012)

(17)भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद/वादों की कम्प्यूटरीकृत संख्या :

(18)बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1)बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(18.2)बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(19)अभ्युक्ति :

पूर्व आदेशों का विवरण

- 1) 1414फ न्यायालय उपजिलाधिकारी मेरठ वाद स. 47 अन्तर्गत धारा 143 यू.पी.जैड. ए. एण्ड एल.आर.एकट ग्राम अब्दुल्लापुर पर.तह.जि.मेरठ सतेन्द्र कुमार बनाम सरकार, उपरोक्त वाद में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 17-1-06 को निम्न आदेश पारित किये गये है- प्रश्रगत भूमि ख0न0 508/0.1260हे0, 506/0.0250
- 2) हे0, ख.स. 504/0.1850हे.,ख.स. 510/0.2940हे., ख.स. 507/0.4920हे., ख.स. 509/0.4870हे. ख.स. 511/0.4220हे. ख.स. 512/0.4160हे., ख.स.497/0.1980हे. ख.स. 514/ 0.7710हे0 ख0न0 508/1110/0.004हे0, मा0परतानुसार स्थित ग्राम अब्दुल्लापुर पर0तह0जि0 मेरठ को अकृषक
- 3) घोषित किया जाता है तथा परता लगान माफ किया जाता है प्रतिबन्ध यह होगा कि समय-समय पर शासकीय संस्थाओं े यथा मेरठ विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद अथवा अन्य के द्वारा यदि कोई शर्तें / प्रतिबन्ध बर्णित भूमि पर लगाये जाते है तो वह इस पर पूर्णतः लागू होंगे। ह0शिशिर उप जिलाधिकारी मेरठ
- 4) ह0आर0के0 13.2.07

Data Digitally Signed by:POOJA SHARMA(REGISTRAR KANOONGO)

दिनांक/समय/स्थान: 05-03-2026 01:01:05 तहसील : सदर

यह उद्घरण खतौनी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

मुद्रित कर्ता : MAHAK SINGH तहसील : सदर

मुद्रित दिनांक एवं समय: 05-03-2026 01:01:05

Not Applicable For Online Prints उपरोक्त उद्घरण खतौनी का वेबफ्लिपेयन <https://upbhulekh.gov.in> Website पर जाकर अथवा QR Code Scan करके किया जा सकता है।





# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref.No. H38879 / C-3 / 2026 / NWT-293/2026

Date 11/03/2026

सेवा में,  
सचिव  
मेरठ विकास प्राधिकरण  
मेरठ।

मा. एन.जी.टी. प्रकरण

विषय: मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित O.A. No. 492/2022, Green Wood City Villa Jan Welfare Society & Anr Versus Godwin Construction Company Pvt. Ltd. Meerut & Ors. के सबध में पारित आदेश दिनांक 04.03.2025 एवं अद्यतन आदेश दिनांक 20.02.2026 के अनुपालन के सबध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित O.A. No. 492/2022, Green Wood City Villa Jan Welfare Society & Anr Versus Godwin Construction Company Pvt. Ltd. Meerut & Ors. के सबध में पारित आदेश दिनांक 20.02.2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके कार्यकारी अंश निम्नानुसार है:-

5. It may be observed here that O.A. No. 492 of 2022 was filed on 05.07.2022. The abovesaid O.A. was disposed of vide judgment dated 04.03.2025. The present Execution Application was filed on 10.09.2025. The order passed by this Tribunal is yet to be executed and the concerned authorities are delaying the matter without any effective time bound action for securing requisite compliance.

6. Vice-Chairman, MDA, Member Secretary, UPPCB, Commissioner, Municipal Corporation, Meerut and District Magistrate, Meerut are directed to hold a meeting by inviting the representatives of the applicant and also of respondent no.1, if available and work out the modalities for carrying out the judgment passed by this Tribunal and make dedicated time bound efforts for execution of judgment dated 04.03.2025 and file by way of their own affidavits compliance reports/undertakings for compliance mentioning the timeline for execution of the judgment.

7. In case of non-compliance, the above-mentioned officers shall appear before the Tribunal physically or virtually to explain the reasons for such non-compliance.

8. It may be added here that order passed by this Tribunal is executable under Section 25 of the National Green Tribunal Act, 2010 as Civil Court Decree in accordance with modes of execution prescribed in the Code of Civil Procedure, 1908 including the mode of attachment and sale of properties and arrest and detention in civil prison of the judgment debtors which expression covers both the concerned Government officers as well as the project proponents. Further, non-compliance with the order passed by this Tribunal constitutes an offence under Section 26 of the National Green Tribunal Act, 2010 for which the concerned government officers as well as the project proponent will be liable to be prosecuted by filing complaints.

9. We caution that in case of non-execution of the judgment passed by this Tribunal within time permitted, we shall be constrained to pass orders for execution and prosecution under Sections 25 and 26 of the National Green Tribunal Act, 2010.

10. List on 18.03.2026 for further hearing."

-----2

पता: उत्तर विभूति खण्ड- गौमती नगर लखनऊ.  
226 010

दूरभाष 0522-2720828, 2720831

ई-मेल info@uppcb.in

वेबसाइट www.uppcb.up.gov.in

F.C -12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,

Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

E-mail : info@uppcb.in

Website : www.uppcb.up.gov.in

-2-

उपरोक्त के अनुपालन में अनुरोध है कि मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.02.2026 में दिए गए आदेशों के अनुपालन में अपने विभाग से संबंधित बिन्दुओं पर कार्यवाही कराने का कष्ट करें जिससे कि मा0 अधिकरण के आदेशों का समयान्तर्गत अनुपालन सुनिश्चित हो सके।

सलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

Digitally signed by  
ANAND KUMAR ANAND

Date: 11-03-2026

17:51 (ए०के० आनन्द)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (प्र०)

पृत्त-3

पत्रांक एवं दिनांक:- उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य विधि अधिकारी (प्रभारी), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 2- क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ।



Ref.No.H30878 / C-3 /2026/NWT-293/2026

Date 11.03/2026

सेवा में,

मा. एन.जी.टी. प्रकरण

नगर आयुक्त  
नगर निगम  
मेरठ।

विषय: मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित O.A. No. 492/2022, Green Wood City Villa Jan Welfare Society & Anr Versus Godwin Construction Company Pvt. Ltd. Meerut & Ors. के संबध में पारित आदेश दिनांक 04.03.2025 एव अद्यतन आदेश दिनांक 20.02.2026 के अनुपालन के संबध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित O.A. No. 492/2022, Green Wood City Villa Jan Welfare Society & Anr Versus Godwin Construction Company Pvt. Ltd. Meerut & Ors. के संबध में पारित आदेश दिनांक 20.02.2026 का सदर्थ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके कार्यकारी अंश निम्नानुसार है:-

".....5. It may be observed here that O.A. No. 492 of 2022 was filed on 05.07.2022. The abovesaid O.A. was disposed of vide judgment dated 04.03.2025. The present Execution Application was filed on 10.09.2025. The order passed by this Tribunal is yet to be executed and the concerned authorities are delaying the matter without any effective time bound action for securing requisite compliance.

6. Vice-Chairman, MDA, Member Secretary, UPPCB, Commissioner, Municipal Corporation, Meerut and District Magistrate, Meerut are directed to hold a meeting by inviting the representatives of the applicant and also of respondent no.1, if available and work out the modalities for carrying out the judgment passed by this Tribunal and make dedicated time bound efforts for execution of judgment dated 04.03.2025 and file by way of their own affidavits compliance reports/undertakings for compliance mentioning the timeline for execution of the judgment.

7. In case of non-compliance, the above-mentioned officers shall appear before the Tribunal physically or virtually to explain the reasons for such non-compliance.

8. It may be added here that order passed by this Tribunal is executable under Section 25 of the National Green Tribunal Act, 2010 as Civil Court Decree in accordance with modes of execution prescribed in the Code of Civil Procedure, 1908 including the mode of attachment and sale of properties and arrest and detention in civil prison of the judgment debtors which expression covers both the concerned Government officers as well as the project proponents. Further, non-compliance with the order passed by this Tribunal constitutes an offence under Section 26 of the National Green Tribunal Act, 2010 for which the concerned government officers as well as the project proponent will be liable to be prosecuted by filing complaints.

9. We caution that in case of non-execution of the judgment passed by this Tribunal within time permitted, we shall be constrained to pass orders for execution and prosecution under Sections 25 and 26 of the National Green Tribunal Act, 2010.

10. List on 18.03.2026 for further hearing."

-----2

टी.सी. उर्वीर विभूति खण्डर गोमती नगर लखनऊ-

226 010

दूरभाष 0522-2720828, 2720831

ई-मेल info@uppcb.in

वेबसाइट www.uppcb.up.gov.in

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,

Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

E-mail : info@uppcb.in

Website : www.uppcb.up.gov.in

-2-

उपरोक्त के अनुपालन में अनुरोध है कि मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.02.2026 में दिए गए आदेशों के अनुपालन में अपने विभाग से संबंधित बिन्दुओं पर कार्यवाही कराने का कष्ट करें जिससे कि मा0 अधिकरण के आदेशों का समयान्तर्गत अनुपालन सुनिश्चित हो सके।

सलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

Digitally signed by  
ANAND KUMAR ANAND  
Date: 11-03-2026  
17:51 (ए०के० आनन्द)  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी (प्र०)  
पृत्त-3

पत्रांक एवं दिनांक:- उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य विधि अधिकारी (प्रभारी), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ।